कार्यालयीन उपयोग हेतु

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश

2010

सत्यमेव जयते

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं अधिकारिता मंत्रालय

कृषि भवन, नई दिल्ली

वेब साईट : **www.nhm.nic.in**

अप्रैल, 2010

मुद्रक : अरिस्टो प्रिंटिंग प्रैस
ए–9 डीडीए शेड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–I
नई दिल्ली – 110020 दूरभाष : 26812379, 26817038

विषय-वस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1.	**प्रस्तावना**	1
2.	**मिशन के उद्देश्य**	1
3.	**कार्य नीति**	1-2
4.	**मिशन का ढांचा**	2
	राष्ट्रीय स्तर	2
	आम परिषद	2
	अधिशासी समिति	3
	राज्य स्तर	3-4
	राज्य स्तरीय अधिशासी समिति	3-4
	जिला स्तर	5
	तकनीकी समर्थन समूह (टीएसजी)	5-6
5.	**अनुमोदन तथा क्रियान्वयन हेतु कार्यनीति एवं रोड़मैप**	6-7
6.	**बागवानी के क्षेत्र में कार्य कर रही विद्यमान राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका**	
	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	7
	काजू एवं कोको विकास निदेशालय	7
	सुपारी एवं मसाले विकास निदेशालय	7
	बागवानी में प्लास्टीकल्चर प्रयोगों पर राष्ट्रीय समिति (एनपीएएच)	7
	नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी)	7
	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	7-8
	विपणन तथा निरीक्षण महानिदेशालय (डीएमआई)	8
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई)	8
	राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड (एनएमपीबी)	8
	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन (एनएचआरडीएफ)	8
7.	**चालू परियोजनाओं की स्थिति**	8
8.	**मिशन हस्तक्षेप**	8-9
	अनुसंधान एवं विकास	10
	उत्पादन तथा उत्पादकता सुधार	10
	बागान सामग्री का उत्पादन तथा वितरण	10
	नर्सरियां	10
	टिशु कल्चर यूनिट	11

	सब्जी बीज उत्पादन	12
	बीज आधारभूत ढांचा	13
	नए बगीचों की स्थापना	13
	मशरूम उत्पादन	13
	जीर्ण बागान का पुनरूद्धार/प्रतिस्थापन	14
	जल स्रोतों का सृजन	15
	संरक्षित कृषि	15
	सटीकता कृषि विकास एवं विस्तार	15
	समेकित पोषक प्रबंधन/समेकित कीट प्रबंधन का संवर्धन	15
	आर्गेनिक कृषि	16
	अच्छे कृषि व्यवहारों का विस्तार	16
	बागवानी में मानव संसाधन विकास	16
	मधुमक्खी पालन के माध्यम से पॉलीनेशन	19
	न्यूक्लियस स्टॉक का विकास तथा वृद्धि	19
	मधुमक्खी क्षेत्रों, छत्तों तथा उपकरणों का वितरण	20
	प्रदर्शन के माध्यम से तकनोलॉजी प्रसार	20
	बागवानी मशीनीकरण	20
	एकीकृत कटाई-पश्च प्रबंधन	21
	बाजार आधारभूत ढांचे का सृजन	22
	निर्यात संवर्धन	24
	प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन	24
	सूक्ष्म सिंचाई	24
9.	**मिशन प्रबंधन**	**25**
	सहकारी तथा अन्य राष्ट्रीय स्तरीय संगठनों को समर्थन	25
	संस्थागत सुदृढीकरण, वाहनों को किराए पर लेना	25
	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग	25
	मूल्यांकन तथा अन्य अध्ययन	25
10.	**एनएचएम के अंतर्गत समग्र लक्ष्य**	**26**
	अनुबंध	
(1)	राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर एनएचएम का ढांचा तथा संरचना	27
(2)	राज्य बागवानी मिशन द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप	28
(3)	11वीं योजना के दौरान एनएचएम के अंतर्गत लागत मानदण्ड तथा सहायता का पैटर्न	32
(4)	चुनिंदा फल फसलों के प्रति हैक्टेयर क्षेत्र विस्तार की लागत	42

प्रबीर कुमार बसु, आई.ए.एस
सचिव
P.K.Basu, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Cooperation

प्राक्कथन

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) को वर्ष 2005-06 के दौरान देश में बागवानी के विकास में गति लाने के लिए प्रारंभ किया गया था । यह आशा की गई थी कि एकीकृत एप्रोच को अपनाने, जो उत्पादन, कटाई-पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण तथा विपणन को कवर करती थी, से वृद्धित उत्पादन, बेहतर पोषण और किसानों को अधिक प्रतिफल के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । मिशन के क्रियान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया था कि बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त घटकों को प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता थी । तदनुसार, कुछ नए घटक जैसे कि उच्च घनत्व बागान, मशरूम खेती, बागवानी मशीनीकरण, जीएपी प्रमाणीकरण आदि को मिशन में शामिल किया गया है । लागत मानदण्ड तथा सहातया के पैटर्न, विशेष रूप से कटाई-पश्च प्रबंधन तथा विपणन संबंधित घटकों हेतु, में संशोधन करके उन्हें उदारीकृत किया गया है ताकि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन दिया जा सके । ये "प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश 2010" में प्रतिबिंबित होते हैं और 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगें ।

यह आशा की जाती है कि नए लागत मानदण्डों को प्रारंभ किया जाना और मिशन के अंतर्गत स्वीकार्य क्रियाकलापों की सूची में अन्य महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किए जाने से देश में बागवानी उद्योग के विकास में तेजी आएगी ।

(पी.के.बसु)

22 अप्रैल, 2010

कार्यालय कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001, दूरभाष- 23382651, 23388444, फैक्स 23386004,
ई-मेल : secy-agri@nic.in

राष्ट्रीय बागवानी मिशन
प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश - 2010

1. प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) को नीचे वर्णित किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा ।

1.2 यह योजना बागवानी क्षेत्र, जिसमें फल, सब्जियां, जड़ तथा कन्द फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, काजू और कोको आते हैं, की समग्र वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रचालित होगी सिवाय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड के, जिनके लिए बागवानी के समेकित विकास हेतु एक पृथक प्रौद्योगिकी मिशन विद्यमान है । इसी प्रकार नारियल के विकास हेतु कार्यक्रम का क्रियान्वयन नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) द्वारा किया जाएगा । एनएचएम एक केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित योजना है जिसमें केन्द्र सरकार 85 प्रतिशत का योगदान देती है और शेष 15 प्रतिशत की पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है ।

2. मिशन के उद्देश्य

2.1 मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

(क) प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और उसके भिन्न कृषि-जलवायु विशेषताओं के अनुरूप क्षेत्र आधारित भिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना, जिसमें अनुसंधान, तकनोलॉजी संवर्धन, विस्तार, कटाई-पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन शामिल है;

(ख) बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा में सुधार और कृषि परिवारों को आय समर्थन प्रदान करना;

(ग) बागवानी विकास हेतु जारी तथा योजना कार्यक्रमों के मध्य अभिसारण तथा समन्वय स्थापित करना;

(घ) परंपरागत विवेक और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के सीम-रहित मिश्रण के माध्यम से बागवानी विकास हेतु तकनोलॉजियों को बढावा देना, विकसित करना तथा उनका प्रसार करना;

(ङ) कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन अवसरों को उत्पन्न करना, विशेष रूप से बेरोजगार युवकों हेतु।

3. कार्यनीति

3.1 इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन निम्नलिखित कार्यनीतियों को अपनाएगा :-

(क) उत्पादन, कटाई-पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण और उत्पादकों को उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए विपणन को कवर करने वाली सिरे-से-सिरे की एक समग्र सोच को अपनाना;

(ख) उत्पादन, कटाई-पश्च प्रबंधन तथा प्रसंस्करण हेतु अनुसंधान एवं विकास तकनोलॉजियों को बढावा देना;

(ग) निम्नलिखित के माध्यम से संचयन, कवरेज तथा उत्पादकता में वृद्धि करना -

1. परंपरागत फसलों से बगीचों, बागों, बेलों, फल तथा सब्जी बगीचों में विविधताकरण ।

2. हाई-टेक बागवानी कृषि तथा सटीक कृषि हेतु किसानों के लिए उचित तकनोलॉजी का विस्तार ।

(घ) उन्नत कटाई-पश्च प्रबंधन, मूल्यवर्धन तथा विपणन आधारभूत ढांचे हेतु प्रसंस्करण ।

(ङ) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य तथा उप-राज्य स्तरों पर सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास, प्रसंस्करण तथा विपणन एजेंसियों के मध्य एक समन्वित सोच को अपनाना और भागीदारी, अभिसारण तथा सहयोग को बढावा देना;

(च) जहाँ-कहीं उचित तथा व्यवहार्य हो वहां किसानों को समर्थन तथा पर्याप्त प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए सहकारी के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) मॉडल को बढावा देना ।

(छ) सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास को बढावा देना, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक पाठयक्रम के सिलेबस तथा पाठयक्रम में परिवर्तन भी शामिल है ।

3.2 छोटे तथा सीमान्त किसानों के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए और जलवायु परिवर्तनशीलता/परिवर्तन की चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए बगीचों तथा बागान फसलों का विविधताकरण तथा संचयन में वृद्धि जिससे कि पारस्थितिकीय संतुलन को बनाया रखा जा सके और ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जा सके ।

4. मिशन का ढांचा

(1) राष्ट्रीय स्तर

(क) आम परिषद

4.1 मिशन की राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक आम परिषद (जीसी) होगी और जीसी की संरचना निम्नानुसार होगी -

कृषि मंत्री	:	अध्यक्ष
वाणिज्य, स्वास्थ्य, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायती राज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्रा.	:	सदस्य
सचिव - कृषि एवं सहकारिता, वाणिज्य, आयुष, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जैव-तकनोलॉजी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय/विभाग के मंत्री, अध्यक्ष, नाबार्ड, महानिदेशक, आईसीएआर	:	सदस्य
उत्पादकों के प्रतिनिधि और भारतीय बागवानी परिसंघ (सीआईएच), भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ (फिक्की) से विशेषज्ञ (14)	:	सदस्य
संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)	:	**सदस्य सचिव**

4.2 आम परिषद नीति निरूपण निकाय होगी जोकि मिशन को समग्र दिशा तथा परामर्श देगी और इसकी प्रगति तथा कार्य-निष्पादन का प्रबोधन एवं समीक्षा करेगी । जीसी वित्त-पोषण पैटर्न को प्रभावित करने वाले के अतिरिक्त प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने और उन्हें संशोधित करने के लिए प्राधिकृत होगी ।

जीसी वर्ष में कम से कम दो बैठकें करेगी । जीसी के गैर-अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल नांमांकन की तिथि से 3 वर्ष और अधिकारिक सदस्यों का उनके पद पर बने रहने तक होगा ।

(ख) अधिशासी समिति

4.3 कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) के सचिव की अध्यक्षता वाली अधिशासी समिति मिशन के क्रियाकलापों की निगरानी करेगी और विभिन्न राज्यों की कार्य योजनाओं को अनुमोदित करेगी । ईसी में निम्नलिखित शामिल होंगे -

सचिव (कृषि एवं सहकारिता)	:	अध्यक्ष
सचिव - वाणिज्य, आयुष, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जैव-तकनोलॉजी, मंत्रालय/विभाग	:	सदस्य
संस्थान - महानिदेशक, आईसीएआर; महानिदेशक, सीएसआईआर; अध्यक्ष, नाबार्ड; अपर सचिव (बागवानी प्रभारी, कृषि एवं सहकारिता विभाग); अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग; संयुक्त सचिव (पौध रक्षण), बागवानी आयुक्त; अध्यक्ष, एपीडा; प्रबंध निदेशक, एनएचबी; प्रबंध निदेशक, एनसीडीसी; मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय औषिधीय पौध बोर्ड; अध्यक्ष, सीडीबी; कृषि विपणन सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग; संयुक्त सचिव, बागवानी में प्लास्टिकल्चर प्रयोग पर राष्ट्रीय समिति	:	सदस्य
3 विशेषज्ञ (उत्पादन, कटाई-पच प्रबंधन और विपणन)	:	सदस्य
संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)	:	सदस्य सचिव

4.4 अधिशासी समिति राज्यों एवं घटकों के मध्य और अनुमोदित आर्थिक सहायता मानदंडों के आधार पर संसाधनों के पुनः आवंटन के लिए प्राधिकृत है । किसी ऐसी परियोजना जिसके लिए मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, हेतु घटकों को अनुमोदित करते समय ईसी अपने विवेक का उपयोग करेगी और इन घटकों हेतु आर्थिक सहायता छोटे तथा सीमान्त किसानों हेतु लागत के 50 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों हेतु लागत के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । ईसी आकस्मिक/अप्रत्याशित आवश्यकताओं से निपटने के लिए विशेष हस्तक्षेपों को अनुमोदित करने के लिए भी प्राधिकृत है और ऐसे हस्तक्षेपों हेतु आर्थिक सहायता अनुमोदित लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । ईसी उप-समिति(एससी)/प्राधिकृत समिति(ईएमसी) को भी गठित कर सकती है तथा परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु एससी/ईएमसी और साथ ही राज्य सरकारों/राज्य बागवानी मिशनों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती हैं । गैर–अधिकारिक सदस्य का कार्यकाल नामांकन से 3 वर्ष की अवधि का होगा।

4.5 कृषि एवं सहकारिता विभाग में बागवानी प्रभाग ईसी तथा जीसी को आवश्यक सहायता मुहैया करवाएगा और एनएचएम योजना को प्रशासित करेगा । ईसी विभिन्न एजेंसियों के मध्य सुचारू कार्यात्मक संयोजनों को सुनिश्चित करेगी । ईसी की बैठक अपेक्षानुसार जितनी जल्दी आवश्यक हो की जाएगी ।

(2) राज्य स्तर

राज्य स्तरीय अधिशासी समिति

4.6 कृषि उत्पादन आयुक्त अथवा प्रधान सचिव बागवानी/कृषि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिशासी समिति (एसएलईसी) में

राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत संस्थान, उत्पादक संघों आदि के प्रतिनिधि होंगे और यह संबंधित राज्यों में एनएचएम कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को देखेगी। केन्द्र सरकार अपने प्रतिनिधि को नामित करेगी जोकि एसएलईसी में एक सदस्य होंगे। राज्य मिशन के निदेशक एसएलईसी के सदस्य सचिव होंगे। प्रचालनात्मक स्तर पर राज्य सरकारों को राज्य तथा जिला स्तरों पर मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी उपयुक्त स्वायत्त एजेंसी को नामित करने अथवा राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) को बनाने की स्वतंत्रता होगी। राज्य में विद्यमान पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को क्रियान्वयन ढांचे में पूर्णतः शामिल किया जाएगा।

4.7 राज्य तथा उप-राज्य स्तरीय ढांचों को संभव सीमा तक किसानों को उत्पादों हेतु पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करने तथा बिचौलियों को समाप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। जहां कहीं संभव हो बागवानी को बढावा देने के लिए सहकारी रूप में किसानों को लाने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसे समर्थन दिया जाएगा।

4.8 राज्य स्तरीय एजेंसियों के निम्नलिखित कार्य होंगे -

(क) मिशन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुरूप कार्यनीतिक/परिपेक्षीय तथा वार्षिक राज्य स्तरीय कार्य योजना को तैयार करना और तकनीकी समर्थन समूह, एसएयू एवं आईसीएआर संस्थानों के साथ निकट समन्वय से उसके क्रियान्वयन की निगरानी करना;

(ख) बागवानी उत्पादन, सम्भाव्यता तथा मांग की स्थिति के निर्धारण हेतु विभिन्न भागों (जिला, उप-जिला, अथवा जिलों के एक समूह) में आधार-रेखा सर्वेक्षण तथा व्यवहार्यता अध्ययनों को आयोजित करना और सहायता को तदनुसार देना। कार्यक्रम के अन्य घटकों हेतु भी इसी प्रकार के अध्ययन किए जाएंगे;

(ग) मिशन के क्रियाकलापों हेतु राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण, राज्य सरकार और अन्य स्रोतों से निधियां अर्जित करना, उनके तत्संबंधी उचित लेखे रखना और संबंधित एजेंसियों को उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना;

(घ) क्रियान्वयन संगठनों को निधियां निर्मुक्त करना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी, प्रबोधन तथा समीक्षा करना;

(ङ) किसानों, सोसाइटियों, एनजीओ, उत्पादक संघों, स्व-सहायता समूहों, राज्य संस्थानों और अन्य समान निकायों के माध्यम से राज्य में मिशन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता तथा निगरानी;

(च) एसएयू, आईसीएआर संस्थानों, केवीके और तकनीकी विशेषज्ञता होने वाले अन्य संस्थानों की सहायता से राज्य स्तर पर सभी हितबद्ध समूह/संघों हेतु कार्यशालाएं, संगोष्ठियां तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(छ) कृषि एवं सहकारिता विभाग को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उसे प्रत्येक माह की 5 तारीख तक एनएचएम वेबसाइट (www.nhm.nic.in) पर भी अपलोड करना;

(ज) जमीनी स्तर तक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) समर्थित सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को प्रचालनात्मक रूप देना और यदि आवश्यकता हो तो अपने स्वयं की वेबसाइट विकसित करना तथा उसे बनाए रखना।

(3) जिला स्तर

4.9 जिला स्तर पर जिला मिशन समिति (डीएमसी) परियोजना निरूपण, क्रियान्वयन तथा प्रबोधन हेतु मिशन के उददेश्यों को आगे ले जाने हेतु के लिए उत्तरदायी होगी। डीएमसी की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)/ जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के सीईओ/जिला विकास अधिकारी द्वारा की जा सकती है और इसमें संबंधित लाइन विभाग, उत्पादक संघों, विपणन बोर्डों, स्थानीय बैंकों, स्व-सहायता समूह तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों से प्रतिनिधि सदस्य के रूप में हो सकते हैं। जिला आयोजना समिति तथा पीआरआई अपनी विशेषज्ञता तथा उपलब्ध आधारभूत ढांचे पर निर्भर करते हुए कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शामिल होंगे। जिला बागवानी अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी डीएमसी के सदस्य सचिव होंगे।

(4) तकनीकी समर्थन समूह (टीएसजी)

4.10 मिशन का एक सुदृढ़ तकनीकी घटक होगा और क्षेत्र विशेषज्ञ मिशन के प्रबंधन के केन्द्र में होंगे। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर मिशन को तकनीकी सहायता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा मुहैया करवाई जाएगी जिसे मिशन के कार्यक्रमों पर परामर्श देने, निरूपित करने, मूल्यांकन करने तथा क्रियान्वयन के प्रबोधन हेतु विशेषज्ञों तथा तकनीकी कार्मिकों द्वारा उचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। तकनीकी समर्थन समूह (टीएसजी) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) में ही होगा, और इसमें संविदा पर व्यावसायिकों की भर्ती हेतु लोचशील मानदंड होंगे। ईसी द्वारा निर्धारित तथा अनुमोदित प्रयोजन की संदर्भ की शर्तों के अनुसार तकनीकी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए सेवा प्रदाताओं को भी नियोजित किया जा सकता है। टीसीजी में विभिन्न स्तरों पर कार्मिक शामिल होंगे जो तकनीकी सेवाएं मुहैया करवाएंगे और उनका मानदेय उनकी योग्यता, अनुभव, अंतिम आहरित वेतन, यदि सरकार से सेवानिवृत्त हुए हों तो, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। बागवानी में ज्ञान रखने वाले नए स्नातक, कम्प्यूटर व्यावसायिक, एमबीए स्नातक, युवा व्यावसायिक भी टीएसजी का भाग हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तरीय टीएसजी केन्द्रीय स्तर पर समर्थन मुहैया करवाएगी।

4.11 टीएसजी की निम्नलिखित भूमिकाएं तथा कार्य होंगे -

(क) संगठनात्मक तथा तकनीकी मामलों में परामर्श प्रदान करने के लिए नियमित रूप से तथा अक्सर राज्यों का दौरा करना।

(ख) विभिन्न बागवानी फसलों तथा विभिन्न पहलुओं अर्थात उत्पादन, कटाई-पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण, विपणन आदि के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशालाओं के आयोजन हेतु सामग्रियों का संकलन करना। वे राज्य बागवानी मिशनों (एसएचएम) के साथ परामर्श से देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर क्षमता निर्माण, संवर्धनात्मक कार्यक्रमों, विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों हेतु एक वार्षिक कैलेंडर भी बनाएंगे।

(ग) पर्यावेक्षण तथा मिशन का मूल्यांकन करना।

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन आयोजित करना।

(ङ) सफलता की कथाओं के मामला अध्ययनों का प्रलेखन तथा प्रसार।

(च) क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में राज्यों की सहायता करना।

(छ) मिशन के उददेश्यों को बढावा देने के लिए प्रचार/सूचना अभियान प्रारंभ करना।

(ज) मिशन निदेशक को मासिक फीडबैक रिपोर्ट मुहैया करवाना ।

4.12 राज्य मिशन भी परियोजना निरूपण, मूल्यांकन तथा समवर्ती प्रबोधन हेतु राष्ट्रीय स्तर की टीएसजी के पैटर्न पर राज्य स्तरीय टीएसजी गठित कर सकते हैं । राज्य मिशनों को राज्य तथा जिला स्तरों पर तकनीकी समर्थन प्रदान करने हेतु परामर्शदाताओं को लेने की स्वतंत्रता होगी और इस प्रयोजन हेतु निधियां राज्यों के टीएसजी घटक मे से मुहैया करवाई जाएंगी ।

4.13 राष्ट्रीय, राज्य तथा उप-राज्य स्तर पर निर्देशनात्मक प्रशासनिक ढांचा अनुबंध-1 में दिया गया है ।

5. अनुमोदन तथा क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाविधि

कार्यनीति तथा तरीका

5.1 राज्य संबंधित राज्य में बागवानी के समग्र विकास हेतु संदर्शी/कार्यनीतिक योजना तथा तरीके को तैयार करेंगे जिसमें 11वीं तथा 12वीं योजनावधि हेतु कार्रवाई की योजना को उचित रूप से प्रक्षेपित किया जाएगा । संदर्शी योजना/कार्यनीतिक योजना में राज्य बागवानी मिशन दस्तावेज (एसएचएमडी) शामिल होंगे जोकि वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को तैयार करने के लिए आधार होंगे । राज्यों द्वारा निरूपित कार्यनीति तथा तरीके में स्पष्ट रूप से भूगोल तथा जलवायु पर सूचना, बागवानी विकास की संभाव्यता, भूमि की उपलब्धता, एसडब्लयूओटी विश्लेषण, विकास हेतु कार्यनीति और राज्य के प्रत्येक जिले में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना शामिल होंगे । दस्तावेज को तुलनात्मक लाभ होने वाली और राज्य में विकास हेतु प्राकृतिक संभाव्यता वाली फसलों, उत्पादन हेतु क्लस्टर एप्रोच को अपनाने तथा उपलब्ध अथवा सृजित किए जाने वाले आधारभूत ढांचे के साथ संयोजन, कटाई-पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण, विपणन तथा निर्यात पर फोकस करना चाहिए । क्लस्टर का चयन करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां जल शेड विकास कार्यक्रमों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाइ), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आदि के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन आधार तथा जल संसाधनों को विकसित किया जा चुका है । ऐसी फसलों के विकास पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनकी आवश्यकता वर्तमान तथा भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए है।

5.2 इस संदर्भ में, एएपी को पिछले हस्तक्षेपों के परिणामो पर डाटा/लेखन से समर्थित किए जाने की आवश्यकता होती है जिसमें क्षेत्र विस्तार के ब्यौरे (प्रारभ की जाने वाली किस्म, उत्पादकता में प्राप्त वृद्धि तथा बनाए गए क्लस्टरों की संख्या) राज्य की महसूस की गई आवश्यकता के अनुसार जल संसाधन विकास (बनाई गई सिंचाई संभाव्यता की मात्रा, चाहे सूक्ष्म सिंचाई, अनुरक्षण आदि के साथ संयोजित की गई हो अथवा नहीं) आईएनएम/आईपीएम (बनाए गए वैज्ञानिक आधारभूत ढांचे तथा उनका उपयोग किसानों के लाभ हेतु किस प्रकार किया जा रहा है) और आर्गेनिक कृषि को कवर किया गया हो । क्षेत्र विस्तार का निर्धारण बागान सामग्री की उपलब्धता के आधार पर किया जाना चाहिए और एएपी के भाग के रूप में एक बीज/बागान सामग्री उप-योजना को पृथक रूप में तैयार किया जाना चाहिए ।

5.3 कृषि मंत्रालय प्रत्येक राज्य को वर्ष हेतु अस्थायी परिव्यय को अप्रैल/मई में सम्प्रेषित करेगा, यदि पहले न भी हो सके तो, जोकि क्षेत्र-वार/जिला-वार आंवटन को दर्शाएगा । जिला स्तर पर एजेंसियां अपने प्राथमिकता तथा संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को तैयार करेंगी और योजना को आवंटित राशि के भीतर राज्य बागवानी मिशन को प्रस्तुत करेंगी । राज्य संदर्शी/कार्यनीतिक योजना एसएचएमडी तथा एएपी को तैयार करने के लिए टीएसजी/परामर्शी सेवाओं को ले सकते हैं । राज्य बागवानी मिशन फिर समूचे राज्य हेतु एक समेकित प्रस्ताव तैयार करेगा, उसकी राज्य स्तरीय अधिशासी समिति (एसएलईसी) से पुनरीक्षा करवाएगा और उक्त की 25 प्रतियों को राष्ट्रीय स्तरीय अधिशासी समिति (ईसी) द्वारा विचार किए जाने हेतु कृषि मंत्रालय को भिजवाएगा । एसएचएम बागवानी विकास से संबंधित सभी मुददों पर एएपी

में ध्यान देने का प्रयास करेगा जिसमें उत्पादन, कटाई-पश्च प्रबंधन तथा विपणन शामिल है। कृषि एंव सहकारिता विभाग को वार्षिक योजना प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप अनुबंध-2 के रूप में संलग्न है।

5.4 एसएचएम, एसएलईसी द्वारा अनुमोदित तथा राष्ट्रीय स्तरीय ईसी को सम्प्रेषित एएपी को इस प्रयोजन हेतु बनाई गई वेबसाइट पर अपलोड करेगा और राष्ट्रीय स्तरीय ईसी के अनुमोदन के पश्चात आवश्यकता होने पर उसे वापिस भी लिया जाएगा। वेबसाइट पर एएपी के अनुमोदन के संबंध में स्थिति दर्शाने हेतु भी प्रयास किए जाएंगे।

6. बागवानी के क्षेत्र में कार्य कर रही विद्यमान राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका –

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), गुड़गांव

6.1 एनएचबी राष्ट्रीय स्तरीय टीएसजी को समाहित करेगा और उसके लिए नियोजित कार्मिकों तथा टीएसजी के अंतर्गत परिकल्पित अन्य क्रियाकलापों को करने के लिए भी भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। एनएचबी का एक अधिकारी केवल कृषि एवं सहकारिता विभाग के साथ सम्पर्क हेतु समर्पित होगा। एनएचबी अपने अधिदेश के अनुसर भी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा।

काजू तथा कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी), कोच्चि

6.2 डीसीसीडी बागान फसलों, नारियल तथा सुपारी को छोड़कर, से संबंधित क्रियाकलापों के समन्वयन तथा प्रबोधन हेतु उत्तरदायी होगा और यह नियमित अंतरालों पर काजू तथा कोको पर राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के आयोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा।

सुपारी तथा मसाले विकास निदेशालय (डीएएसडी), कालीकट

6.3 डीएएसडी सुपारी, मसाले तथा सुगंधित पौधों के विकास से संबंधित क्रियाकलापों के समन्वयन तथा प्रबोधन हेतु उत्तरदायी होगा और यह नियमित अंतरालों पर सुपारी, मसाले तथा औषिधीय और सुगंधित पौधों पर राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं के आयोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा।

बागवानी में प्लास्टीकलचर प्रयोगों हेतु राष्ट्रीय समिति (एनसीपीएएच), नई दिल्ली

6.4 एनसीपीएएच सटीक कृषि विकास केन्द्रों (पीएफडीसी) के माध्यम से सटीक कृषि तथा हाई-टेक बागवानी से संबंधित क्रियाकलापों के समन्वय और प्रबोधन हेतु भी उत्तरदायी होगा।

नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी), कोच्चि

6.5 यद्यपि सीडीबी नारियल के विकास पर अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करेगा, सीडीबी सब्जियों, फूलों, मसालों, सुगंधित पौधों आदि की अंतर-फसल हेतु नारियल आधारित कृषि प्रणाली से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होगा।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली

6.6 एपीडा, वाणिज्य मंत्रालय बागवानी फसलों हेतु कृषि-निर्यात क्षेत्रों (एईजेड) के समन्वित विकास को बढावा देने और बागवानी फसलों के निर्यात को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के साथ समन्वय करेगा।

विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), नई दिल्ली

6.7 डीएमआई बागवानी फसलों के विपणन से संबंधित बाजार आसूचना तथा कार्यक्रमों के प्रबोधन को मुहैया करवाने के लिए उत्तरदायी होगा ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई), नई दिल्ली

6.8 एमएफपीआई अपने स्वयं के बजट प्रावधान में से बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा प्रबोधन हेतु उत्तरदायी होगा । एमएफपीआई, एनएचएम क्लस्टर के साथ अपने योजनाओं के अभिसारण को सुनिश्चित करेगा ।

राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड (एनएमपीबी), नई दिल्ली

6.9 एनएमपीबी, एनएचएम के साथ समन्वय में औषधीय पौधों के विकास से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करेगा ।

राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन (एनएचआरडीएफ), नासिक

6.10 एनएचआरडीएफ सब्जियों तथा सब्जियों के बीजों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों के प्रबोधन में अंतर्ग्रस्त होगा ।

6.11 इन संगठनों की बागवानी से संबंधित योजनाओं का समन्वय एनएचएम के साथ किया जाएगा ।

नाबार्ड, एनसीडीसी, एनबीबी, नैफेड, मसाला बोर्ड, आईसीएआर संस्थान, मैनेज आदि जैसी अन्य राष्ट्रीय स्तरीय एंजेसियों का एनएचएम के अनुमोदित मानदण्डो के अनुसार कार्यक्रमों/परियोजनाओं को लेने पर उनका वित्त-पोषण एनएचएम के बजट में से किया जाएगा ।

7. चालू योजनाओं की स्थिति

7.1 वर्तमान में बागवानी विकास कार्यक्रमों को कई योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है अर्थात राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एचएनबी) कार्यक्रम, नारियल विकास कार्यक्रम, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों एचएमएनईएचएस, हेतु बागवानी । एनएचबी कार्यक्रम उद्यमी-चालित होते हैं और बोर्ड अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना जारी रखेगा । एनएचबी विशेषज्ञों का पूल बनाकर और तकनीकी सहायता समूह को रखकर मिशन हेतु लॉजिस्टिक समर्थन भी मुहैया करवाएगा। एचएमएनईएचएस, जो पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के विकास पर ध्यान देते हैं, एक पृथक योजना के रूप में जारी रहेंगे । नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी), जिसे देश में नारियल के विकास की निगरानी हेतु संसद के एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया है, स्वतंत्र रूप से नारियल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को जारी रखेगा ।

8. मिशन हस्तक्षेप

8.1 मिशन प्रत्येक खंड मे मांग तथा आवश्यकता आधारित होगा । तकनोलाजी विभिन्न हस्तक्षेपों मे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी । सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), सुदूर संवेदन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी तकनोलाजियों का उपयोग आयोजना तथा प्रबोधन प्रयोजनों हेतु व्यापक रूप से किया जाएगा जिसमें कटाई-पश्च प्रबंधन हेतु आधारभूत ढांचा सुविधाओं के निर्माण हेतु स्थलों की पहचान, बाजार तथा उत्पादन पूर्वानुमान शामिल हैं ।

8.2 वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु परिकल्पित हस्तक्षेप भिन्न होंगे और क्षेत्रीय तौर पर विभेद वाले होंगे जिसमें फोकस आधुनिक

तथा हाई-टेक हस्तक्षेपों के नियोजन द्वारा क्लस्टरों में विकसित की जाने वाली सम्भाव्य फसलों पर होगा तथा पश्चगामी तथा अग्रगामी लिंकेजों को उचित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा । घटकों के ब्यौरे, सहायता के अनुमोदित मानदण्डों के साथ उनकी अनुमानित लागत (संशोधन अनुसार) **अनुबंध-3** में दिए गए हैं ।

एनएचएम के प्रमुख तत्व

- आधार रेखा डाटा (प्रारूप **अनुबंध-2** में)
- क्षेत्र आधारित वार्षिक और संदर्शी योजनाएं जो पश्चगामी तथा अग्रगामी लिंकेजों के साथ सिरे-से-सिरे वाली एप्रोच पर आधारित हों (पैरा 3 तथा 5.1) ।
- एटीएमए तथा एसएचएम जैसी क्रियान्वयन एजेंसियों आदि द्वारा महसूस की गई आवश्यकता के आधार पर अनुसंधान परामर्शी समिति द्वारा निर्देशित तथा संबंधित संगठन द्वारा अपने स्वयं के बजट से वित्त-पोषित अनुसंधान (पैरा 8.3) ।
- विभिन्न क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ होने वाली सम्भाव्य फसलों हेतु क्लस्टर एप्रोच पर मांग चालित उत्पादन (पैरा 8.4) ।
- श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बीज तथा बागान सामग्री का उत्पादन किया जाए तथा उसे उपलब्ध कराया जाए (पैरा 8.5) ।
- उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनोलाजी चालित कार्यक्रम (पैरा 8.2) जैसे कि -
- उन्नत किस्मों को प्रारम्भ किया जाना
- उन्नत उत्पादकों के साथ पुनरूद्धार
- उच्च घनत्व वाले बागान
- प्लास्टिक का उपयोग
- अंतर परागण हेतु मधुमक्खी पालन
- किसानों तथा कार्मिकों हेतु क्षमता निर्माण (पैरा 8.31)
- मशीनीकरण (पैरा 8.52)
- कटाई-पश्च प्रबंधन (पैरा 8.53 से 8.59)
- बाजार आधारभूत ढांचा विकास (पैरा 8.60 से 8.62)
- त्रुटि-रहित रिपोर्टिंग तथा प्रबोधन (पैरा 4.8)
- डाटा बेस बनाना , संकलन तथा विशलेषण (पैरा 4.10 तथा 4.11)

अनुसंधान एवं विकास

8.3 बागवानी अनुसंधान के अंतर्गत कार्यक्रम प्रत्येक क्षेत्र/राज्य की विशिष्ट कृषि-जलवायु तथा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तकनोलॉजी बनाने पर केन्द्रित होंगे । भारत तथा विदेशों में उपलब्ध उत्पादन तकनोलॉजियों के प्रभावी अंतरण तथा प्रसार पर बल दिया जाएगा । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), एसएयू और इस क्षेत्र में समर्थताएं होने वाले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अन्य अनुसंधान संस्थानों/संगठनों के साथ अनुसंधान कार्यक्रमों में भागीदार होंगे । उत्पादकों के फील्ड अनुभव को एक आकार दिया जाएगा तथा आवश्यक हस्तक्षेपों का डिजाइन बनाया जाएगा । इस ओर के अनुसंधान कार्यक्रम एक शीर्ष अनुसंधान परामर्शी समिति (आरएसी) द्वारा मार्गदर्शित होंगे और बागान सामग्री, उत्पादन तकनोलॉजी, कटाई-पश्च तकनोलाजी, प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन में चिन्हित तथा उभरती हुई आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे । ऐसी अनुसंधान परियोजनाएं बागवानी पर ध्यान देते हुए कृषि तकनोलाजी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्यनीतिक अनुसंधान विकास कार्यक्रम (एसआरईपी) के साथ होंगी । अनुसंधान परियोजनाओं को लेने वाली एजेंसियों को एनएचएम बजट में से किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के बिना आईसीएआर/सीएसआईआर की चालू परियोजनाओं के अनुसार सहायता मुहैया करवाई जाएगी । संक्षेप में विचार मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता की आवश्यकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करने का है, जिन्हें विद्यमान अनुसंधान संगठनों द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

उत्पादन तथा उत्पादकता सुधार

8.4 मिशन विशेष रूप से गुंणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तथा उचित तकनोलॉजियों को अपनाने के माध्यम से उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि करने पर विशेष रूप से ध्यान देगा, जिसमें सभी बागवानी फसलों का जेनेटिक उन्नयन, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर ध्यान देना शामिल है । क्षेत्रीय रूप से भिन्नता वाली फसलों हेतु क्षेत्र आधारित क्लस्टर एप्रोच को अपनाने के लिए विशेष बल दिया जाएगा जोकि राज्य/क्षेत्र हेतु कृषि/जलवायु रूप से सबसे उपयुक्त है । अच्छी गुणवत्ता वाली बागान सामग्री की उपलब्धता बागवानी के विकास के केन्द्र में होने के चलते केन्द्रित ध्यान प्राप्त करेगी और नर्सरियों के रूप में आवश्यक आधारभूत ढांचा बनाने तथा विद्यमान टिशु कल्वर यूनिटों के उन्नयन हेतु प्रयास किए जाएंगे, जिसे बाजार मांग को पूरा करने के लिए उन्नत किस्मो के अंतर्गत नए क्षेत्रों को शामिल किए जाने के माध्यम से बागान विकास कार्यक्रमों द्वारा अनुपोषित किया जाएगा ।

बागान सामग्री का उत्पादन तथा वितरण

नर्सरिया

8.5 अच्छी गुणवत्ता वाले बीज तथा बागान सामग्री का उत्पादन और वितरण इस मिशन का एक महत्वपूर्ण धटक है । अधिकांश राज्यों मे बागान सामग्री के उत्पादन हेतु नर्सरियों का एक नेटवर्क है जिन्हें केन्द्रीय अथवा राज्य सहायता के माध्यम से स्थापित किया गया था । बागवानी फसलों की उन्नत किस्मों के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने हेतु बागान सामग्री की आवश्यकता को पूरा करने और बूढ़े/जीर्ण बागान हेतु पुनरूद्धार कार्यक्रम के लिए सहायता नई नर्सरियों को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अतर्गत मुहैया करवाई जाएगी । नर्सरियों हेतु आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित शामिल हैं -

(क) उचित चाहरदीवारी ।

(ख) प्रतिकूल मौसम स्थितियों से रक्षा हेतु पौली कवर के अंतर्गत मदर स्टॉक ब्लाक अनुरक्षण ।

(ग) जाल ग्रह स्थितियों के अंतर्गत जड़ स्टाक बीजों को उगाना ।

(4) पालन ग्रह, वातायन के साथ ट्रोपिकल पौली ग्रह जिसमें साइडों पर कीट-रोधी जाली हो तथा फौगिंग एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली हो ।

(5) प्रकाश जांच विशेषताओं तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के साथ कीट-रोधी जाल ग्रह को सुदृढ़ करना/उसका अनुरक्षण ।

(6) पौधों को पर्याप्त सिंचाई मुहैया करवाने हेतु पंप हाउस और कम से कम दो दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जल भण्डारण टंकी ।

(7) मृदा स्टरलाइजेशन - बॉयलर के साथ भाप स्टरलाइजेशन प्रणाली ।

8.6 यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त सुविधाओं के साथ एक हैक्टेयर क्षेत्रफल वाली किसी नर्सरी की लागत 6.25 लाख रुपए होगी । सहायता न्यूनतम एक हेक्टेयर तथा अधिकतम 4 हेक्टेयर वाली किसी नर्सरी हेतु उपलब्ध होगी जिसकी कुल लागत 25 लाख रुपए तक हो । सार्वनजिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित नर्सरी 100 प्रतिशत की सहायता की पात्र होगी और निजी क्षेत्र में नर्सरियों हेतु सहायता क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत होगी । एक हेक्टेयर आकार वाली नर्सरी को छोटी नर्सरी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उससे बड़ी नर्सरी को बड़ी नर्सरी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । नर्सरियों के लागत मानदण्ड 6.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से होंगे । प्रत्येक नर्सरी से प्रत्येक वर्ष वनस्पति प्रसार के माध्यम से अधिदेशित स्थायी फल के पौधे/वृक्ष प्रजाति/बागान फसल के प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर पर न्यूनतम 50 हजार पौधो का उत्पादन अपेक्षित होगा ।

8.6 बागान सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व नर्सरियो का होगा । गुणवत्ता वाली बागान सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए नर्सरियों को प्रत्यायोजित किया जाएगा । नर्सरियों को बीज तथा बागान सामग्री से संबंधित प्रभावी विधान के अधीन भी नियमित किया जाएगा । उत्पादन क्लस्टर में ही नर्सरियों को स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए । स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित नर्सरी के प्रकार को कार्य योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया होना चाहिए । योजना में विद्यमान नर्सरियों का एक आंकलन, उत्पादन की जा रही बागान सामग्री की फसल-वार संख्या और नर्सरियों की अतिरिक्त आवश्यकता समाहित होनी चाहिए ।

8.7 एनएचएम हेतु बागान सामग्री को प्रत्यायन प्राप्त नर्सरियो से अधिप्राप्त किया जाएगा । केवल जब प्रत्यायन प्राप्त नर्सरियों में पर्याप्त बागान सामग्री उपलबध न हो तब ही उसे पूरी तरह से यह संतुष्ट होने के पश्चात कि बागान सामग्री अपेक्षित गुणवत्ता मानदण्डों के अनुरूप है, अन्य स्रोतों से अधिप्राप्त किया जाना चाहिए । तथापि, एसएचएम यह सुनिश्चित करेगा कि एनएचएम के अंतर्गत स्थापित सभी नर्सरियां राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों आदि जैसी नामित एजेंसियो के माध्यम से एक वर्ष के भीतर प्रत्यायित हो जाए ।

टिशु कल्चर यूनिट

8.8 मिशन के अंतर्गत नई टिशु कल्चर (टीसी) यूनिटों को 100 लाख रुपए प्रति यूनिट की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र में टीसी यूनिटों हेतु 15 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक विद्यमान टीसी यूनिटो के पुनर्वास/सुदृढीकरण हेतु सहायता मुहैया करवाई जाएगी जबकि निजी क्षेत्र में टीसी यूनिटों हेतु यह 7.50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50% होगी । प्रत्येक टीसी यूनिट अधिदेशित फसल हेतु न्यूनतम 15 लाख पौधों को उत्पन्न करेगी जिनके लिए वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रोटोकॉल उपलबध हों । नई टीसी यूनिट परियोजनाओं को केवल उन्हीं सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियो को स्वीकृत किया

जाएगा जिनके पास अपेक्षित तकनीकी जनशक्ति हो । जनशक्ति तथा आकस्मिकताओं हेतु कोई भी आवृत्ति व्यय एनएचएम के अंतर्गत वहन नहीं किया जाएगा । प्रत्येक टीसी यूनिट का प्रत्यायन जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मानकों तथा मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा ।

सब्जी बीज उत्पादन

8.9 सब्जियों में रोग-मुक्त बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम विशिष्ट रूप से सब्जियों की हाई-ब्रिड किस्मों पर लागू होगा जिसके मामले में बीज काफी महंगा होता है और बीजों का अंकुरित होना काफी कम होता है तथा बीजों में मृत्यु दर खुली नर्सरियों में उगाए जाने पर काफी अधिक होती है। जहाँ-कहीं आवश्यक हो उत्पादन हेतु प्लग तकनोलाजी तथा पर्यावरण नियंत्रण, सब्जी के बीज की वृद्धि तथा उसे सख्त किए जाने को प्रारम्भ किया जा सकता है । यह एक ऐसे तरीके से बीजों के उत्पादन को सुनिश्चित करेगा कि जल्दी तथा बाद वाली फसलें सम्भव होंगी जोकि अंततः यह सुनिश्चित करेगा कि सब्जियों का उत्पादन एक लम्बी अवधि में हों और फसल अधिक होने तथा फसल कम होने की अवधि के वैकल्पिक चक्र को न्यनूतम किया जा सके । इसके अतिरिक्त, हाइब्रिड बीजों का चयन परीक्षणों के पश्चात किया जाएगा जो अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करेंगे ।

8.10 आधारभूत ढांचा सुविधाओं में ट्रापिकल स्थितियों हेतु बनाया गया 2000 वर्गमीटर के अधिकतम क्षेत्र वाला एक ग्रीन हाउस शामिल होगा जिसके साइडों मे कीड़ों को रोकने वाली जाली और रोलिंग पॉलीशीटस होंगी । पौधे को छोटे प्लगों वाली प्लास्टिक ट्रे में उगाया जाएगा और विभिन्न फसलों हेतु प्लग भिन्न आकार के होंगे । स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को स्थापित किया जाएगा । मीडिया स्टरलाइजेशन अर्थात स्टीम बायलर, होल्डिंग बिन आदि हेतु आधारभूत ढांचा भी मुहैया करवाया जाएगा ।

8.11 सब्जी बीज उत्पादन हेतु अनुमानित लागत 50 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर है । सब्जी बीज उत्पादन हेतु सहायता सार्वनजिक क्षेत्र के लिए कुल लागत के 100 प्रतिशत की दर से होगी जबकि निजी क्षेत्र हेतु सहायता क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 25000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगी । सहायता को प्रति लाभग्राही 5 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्रफल हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा ।

बागान सामग्री के संबंध में क्या करें तथा क्या न करें

करें

1. नई नर्सरियों/टीसी यूनिटों के स्थापन को न्यायोचित ठहराने के लिए पौध रोपण सामग्री की आवश्यकता तथा उपलब्धता का एक किस्म-वार आंकलन किया जाना चाहिए । यह प्रत्येक वर्ष हेतु एएपी का एक भाग होना चाहिए ।
2. सभी नर्सरियों के मदर ब्लाक होने चाहिए ।
3. सभी नर्सरियों/टीसी यूनिटों को अधिदेशित फसलों की न्यूनतम अपेक्षित मात्रा का उत्पादन करना चाहिए ।
4. बागान सामग्री को किसानों को तर्कसंगत मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ।
5. जहाँ तक संभव हो बागान सामग्री की आपूर्ति किसानों को केवल प्रत्यायित नर्सरियों के माध्यम से की जानी चाहिए ।
6. मिशन निधियों से स्थापित नर्सरी ढांचे को एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्यायित करवा लिया जाना चाहिए ।

क्या न करें

1. पौध की मूल वाली बागान का उपयोग स्थायी फल फसलों हेतु नहीं किया जाना चाहिए ।
2. पौध रोपण सामग्री के लम्बी दूरी तक परिवहन से बचा जाना चाहिए ।
3. पौध रोपण सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाना चाहिए ।

8.12 आधारभूत बीज उत्पादित करने के लिए अपेक्षित होने वाले ब्रीडर बीज हेतु मांगकर्ता संगठन आईसीएआर/एसएयू से ब्रीडर बीजों की अधिप्राप्ति की लागत के 25 प्रतिशत की दर से सहायता हेतु पात्र होंगे ।

बागान सामग्रियों का आयात

8.13 बागवानी फसलों की नवीनतम किस्मो की श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली बागान सामग्री को अधिप्राप्त करने की दृष्टि से विदेशों से आयातित बागान सामग्री की लागत को पूरा करने हेतु सहायता मुहैया करवाने के लिए एक नए घटक को प्रारम्भ किया गया है । इसके लिए सहायता राज्य सरकार/पीएसयू को अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति लाभग्राही के अधीन लागत के 100 प्रतिशत की दर से मुहैया करवाई जाएगी । पंजीकृत उत्पादक संघ 5 लाख रुपए प्रति लाभग्राही के अधीन लागत के 50 प्रतिशत की दर से मुहैया करवाई जाएगी ।

8.14 राज्य बागवानी मिशन किसानों को तर्कसंगत मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों तथा बागान सामग्री की समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा ।

बीज आधारभूत ढांचा

8.15 बीजों की उचित हैण्डलिंग, भण्डारण तथा पैकेजिंग को सुकर बनाने के लिए सुखाने के चबूतरे, भण्डारण बिन, पैकेजिंग यूनिट तथा संबंधित उपकरणों जैसे आधारभूत ढांचे को बनाने के लिए सहायता मुहैया करवाई जाएगी । सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत सहायता मुहैया करवाई जाएगी जोकि अधिकतम 200 लाख रुपए होगी और निजी क्षेत्र को सहायता क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता द्वारा लागत के 50प्रतिशत की दर से मुहैया करवाई जाएगी जोकि अधिकतम 100 लाख रुपए प्रति लाभग्राही तक सीमित होगी ।

नए बगीचों की स्थापना

8.16 मिशन में बागवानी फसलों की उन्नत किस्मों के अंतर्गत बड़े क्षेत्रों की कवरेज परिकल्पित है । कृषि हेतु सहायता अधिकतम चार हेक्टेयर प्रति लाभग्राही के क्षेत्रफल हेतु होगी जोकि फसल की प्रकृति पर निर्भर करते हुए तीन वर्षों

नए बगीचों के संबंध में क्या करें तथा क्या न करें

करें

1. नए क्षेत्रों को बागवानी फसलों के अंतर्गत उपयुक्त फसलों की नवीनतम उच्च उत्पादन किस्मों को प्रारम्भ करने की दृष्टि से, उत्पादकता में वृद्धि करने के लक्ष्य से बजाए कि परंपरागत किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए लाया जाना चाहिए ।
2. पौध रोपण सामग्री का उपयोग प्रत्यायित नर्सरियों से किया जाना चाहिए और उसकी उपलब्धता को समय रहते सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा एएपी में उचित रूप से प्रदर्शित किया गया होना चाहिए ।
3. नए क्षेत्रों को अधिदेशित फसल के चिन्हित क्लस्टरों में सतत आधार पर लिया जाना चाहिए ।

4. बेहतर बने रहने को सुंनिश्चित किए जाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को एकीकृत किया जाना चाहिए ।

5. विहित मानदण्डों के अनुसार बने रहने को सुनिश्चित करने के पश्चात उपयुक्त किस्तों में लाभग्राही को भुगतान निर्मुक्त किया जाना चाहिए ।

क्या न करें

1. नए बगीचों को 10 हेक्टेयर ब्लाक से कम के पृथक टुकड़ों में नहीं बनाया जाना चाहिए ।

2. बागान सामग्री की अधिप्राप्ति को किसानों के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

की अवधि में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 60:20:20 के अनुपात में विभाजित होगी । दूसरे वर्ष हेतु सहायता नए बगीचे के 75 प्रतिशत जीवित रहने और तीसरे वर्ष हेतु सहायता 90 प्रतिशत पौधों (टीसी आधारित फसलों सहित) के जीवित रहने के अधीन होगी । फल, बागवानी फसलों, जिसमें फूल, मसाले, सुगंधित पौधे और काजू तथा कोको जैसी बागान फसलें शामिल हैं, के अंतर्गत नए क्षेत्रों को लाने हेतु फसल-वार ब्यौरे विस्तारपूर्वक अनुबंध-3 में दिए गए हैं । नए बगीचों के पालन की लागत फसल-दर-फसल भिन्न होती है । **अनुबंध-3** में दर्शाए गए लागत मानदण्ड निर्देशनात्मक हैं । विभिन्न फल फसलों हेतु एक निर्देशनात्मक मानदण्ड **अनुबंध-4** में दिया गया है । नए क्षेत्रों को फल फसलों के अंतर्गत लाने हेतु सहायता सभी फसलों हेतु लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी सिवाय सामान्य अंतर के साथ फल फसलों के, जिनके मामले में सहायता लागत का 75 प्रतिशत होगी ।

मशरूम उत्पादन

8.17 मशरूम के मामले में सहायता पृथक स्पॉन तथा खाद बनाने की यूनिट स्थापित करने के लिए और साथ ही एकीकृत मशरूम यूनिट, स्पॉन उत्पादन यूनिट, खाद बनाने की यूनिट तथा प्रशिक्षण यूनिट हेतु भी **अनुबंध-3** में दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रदान की जाएगी ।

जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार/प्रतिस्थापन

8.18 आम, नीबू प्रजाति, सेब तथा बागान फसलों जैसे कि नारियल तथा काजू जैसे स्थायी फसलों की निम्न उत्पादकता मुख्यतः जोत के छोटे आकार, बूढे तथा जीर्ण वृक्षों का प्रभुत्व और पानी, पोषक तथा कीटनाशकों जैसे आदानों के खराब प्रबंधन के कारण है । उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद क्षेत्रों में घनी छाया वाले आम के बाग, समूचे देश के अन्य भागों में अमरूद, नाशपाती, किन्नू तथा अन्य नीबू प्रजाति के फलों के बीज वाले बगीचे, जिसमें रोग ग्रसित मिर्च, इलायची तथा काजू बागान शामिल हैं, को देश के विभिन्न भागों में बड़े क्षेत्रों में आम देखा जाता है, जो औसत उत्पादकता को कम कर देता है ।

8.19 एनएचएम के अंतर्गत जीर्ण बागानों को हटाने, आदानों के उचित तथा समेकित संयोजन से समर्थित नए स्टाक को पुनः लगाए जाने, छंटाई तथा ग्राफटिंग तकनीको के माध्यम से उत्पादकता सुधार कार्यक्रमों को किया जाना अपेक्षित है । कार्यक्रम को पृथक किसानों, किसानों के सहकारी समूह, स्व-सहायता समूह, एनजीओ, उत्पादक संघ तथा वस्तु संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा । जीर्ण बागानों के पुनरूद्धार/पुनः पौधे लगाए जाने हेतु सहायता लागत का 50 प्रतिशत होगी जोकि 15 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के अधीन, 2 हेक्टेयर प्रति लाभग्राही तक सीमित होगी और सहायता केवल जीर्ण तथा अनुत्पादक बागानों के प्रमाणित तकनोलॉजी के माध्यम से पुनरूद्धार/ पुनः लगाए जाने के संबंध में उपलब्ध होगी । तथापि, सहायता का दावा किसी विशिष्ट फसल की प्रकृति तथा आवश्यकता पर किया जाएगा ।

जल स्रोतों का सृजन

8.20 मिशन के अंतर्गत सामुदायिक टैंकों, प्लास्टिक आरसीसी लाइनिंग के साथ खेत वाले तालाब/जलाशयों को बनाने हेतु सहायता दी जाएगी ताकि बागवानी फसलों को जीवन रक्षक सिंचाई सुनिश्चित की जा सके । यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के साथ होगा और जहां कहीं संभव हो पर्याप्त अभिसारण को सुनिश्चित किया जाना है । इन जल राशियों को जल के विवेक सम्मत उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ संयोजित किया जा सकता है । लागत का अनुमान 100 मीटर x 100 मीटर x 3 मीटर के तालाब/टैंक आकार के साथ 10 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्रफल के साथ 15 लाख रुपए प्रति यूनिट अनुमानित है; जिसका स्वामित्व तथा प्रबंधन समुदाय/किसान समूह द्वारा किया जाएगा । छोटे आकार के तालाबों/टैंकों हेतु लागत कमांड क्षेत्र पर निर्भर करते हुए प्रो-राटा आधार पर देय होगी । एनएचएम के अंतर्गत सहायता प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग की लागत तक सीमित है । तथापि, गैर-नरेगा लाभग्राहियों हेतु प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग की लागत सहित 100 प्रतिशत सहायता मुहैया करवाई जाएगी । जल स्रोतों के अनुरक्षण की जिम्मेवारी समुदाय की होगी ।

8.21 व्यक्तियों हेतु खेत तालाब/खोदे गए कुंए के निर्माण के माध्यम से जल स्रोत बनाने हेतु भी सहायता मुहैया कराई जाएगी । दो हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र में 100 रुपए प्रति घनमीटर की दर से 20 मीटर x 20 मीटर 3 x मीटर तालाब/खोदे गए कुंए में पानी के भण्डारण हेतु लागत का अनुमान मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए प्रति यूनिट और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.38 लाख रुपए लगाया गया है । छोटे आकार के तालाबों/खोदे गए कुओं हेतु लागत कमांड क्षेत्र पर निर्भर करते हुए प्रो-राटा आधार पर देय होगी । यह भी मरेगा के साथ होगी । तथापि, गैर-मरेगा लाभग्राहियों हेतु प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग की लागत सहित लागत के 50 प्रतिशत की सहायता मुहैया करवाई जाएगी । जल स्रोतों के अनुरक्षण की जिम्मेवारी लाभग्राही होगी ।

संरक्षित खेती

8.22 छायादार जाली ग्रह, ग्रीन हाउस, मलचिंग तथा प्लास्टिक टनल, पक्षी/वृष्टि-रोधी जाली के निर्माण जैसे क्रियाकलापों को मिशन के अंतर्गत बढावा दिया जाएगा और इसके लिए सहायता **अनुबंध-3** में दर्शाई गई है । ग्रीन हाउस तथा छायादार नेट हाउस हेतु निर्माण सामग्री की एक किस्म के चयन के लिए प्रावधान किया गया है । ऐसे ढाचों के निर्माण की लागत को न्यूनतम करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी ।

सटीकता कृषि विकास तथा पीएफडीसी के माध्यम से विस्तार

8.23 एक पैकेज के रूप में सटीकता कृषि तकनोलाजी का उपयोग किसानों के खेतों में वाणिज्यिक पैमाने पर अभी किया जाना है । इसलिए विद्यमान सटीकता कृषि विकास केन्द्रों (पीएफडीसी) को क्षेत्रीय रूप से भिन्न तकनोलॉजी को उसके वैधीकरण तथा प्रसार हेतु विकसित करने के लिए शामिल किया जाएगा । पीएफडीसी वर्तमान में 22 स्थलों पर विद्यमान हैं जोकि अधिकांशतः एसएयू, आईसीएआर संस्थानों तथा आईआईटी, खडगपुर में है । पलास्टिकल्चर प्रयोगों में प्रायोगिक अनुसंधान करने में उनकी विशेषज्ञता के चलते उनके पास जनशक्ति तथा उपकरण के रूप में विशेषज्ञता मौजूद है । किसानों के खेत में सटीकता फार्मिंग तकनीकों पर जानकारी उत्पन्न करने के लिए पीएफडीसी को आवश्यक हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर से लैस किया जाएगा । अंतिम उददेश्य किसानों को सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना है ताकि वे आवश्यक आदानों को लागू करने की स्थिति में हों । अन्य संगठनों जैसे कि आईसीएआर संस्थानों तथा निजी क्षेत्र में संस्थानों को भी तकनोलाजी विकास में शामिल किया जाएगा । इस प्रयोजन हेतु पीएफडीसी को एनएचएम से एनसीपीएएच के माध्यम से परियोजना आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी ।

एकीकृत पोषक प्रबंधन (आईएनएम) और एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को बढावा देना

8.24 आईएनएम तथा आईपीएम हेतु सहायता लागत के 50 प्रतिशत की दर से होगी जिसके लिए अधिकतम सीमा प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर तक 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सीमित है । रोग पूर्वानुमान यूनिट, जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाएं, पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक और पत्ती/टिशू विश्लेषण प्रयोगशालाएं जैसी सुविधाओं के विकास हेतु भी **अनुबंध-3** में दी गई सहायता के पैटर्न के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी ।

8.25 सेनेट्री तथा फाइटो सेनेट्री प्रमाणीकरण सुविधाओं के स्थापन हेतु सार्वनजिक क्षेत्र को परियोजना आधार पर 500 लाख रुपए प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन सहायता मुहैया करवाई जाएगी ।

आर्गेनिक कृषि

8.26 बागवानी में आर्गेनिक कृषि अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो रही है । इसके पर्यावरणीय तथा आर्थिक लाभों में कई देशों का ध्यान आकर्षित किया है । आर्गेनिक रूप से उत्पादित भोजन उत्पादो की उपभोक्ता की मांग और अधिक धारणीय विकास हेतु समाज की मांग ने समूचे विश्व में कृषि तथा व्यापार हेतु नए अवसर मुहैया करवाए है ।

8.27 आर्गेनिक उत्पादन का आधारभूत नियम यह है कि प्राकृतिक आदानों को लगाया जाना होता है और सिंथेटिक आदान पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं । परन्तु दोनों मामलों में थोड़े-बहुत अपवाद हैं, कुछ प्राकृतिक आदानों को विभिन्न प्रमाणीकरण कार्यक्रमों द्वारा मानव स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण के लिए हानिकारक पाया गया है तथा इसलिए उन्हें प्रतिबंधित किया गया है (जैसे कि आर्सनिक) । कुछ सिंथेटिक आदानों को आर्गेनिक कृषि दर्शन के साथ आवश्यक तथा अनुरूपता वाला पाया गया है इसलिए अनुमेय है (जैसे कि कीड़ा फेरोमोन्स) । एक आर्गेनिक उत्पादन प्रणाली को निम्नलिखित हेतु बनाया जाएगा -

- प्रणाली के भीतर जैवकीय विविधता में वृद्धि करने;
- मिटटी के जैवकीय क्रियाकलाप में वृद्धि करने;
- दीर्घावधि मिटटी उर्वरता को बनाए रखने;
- पौधे तथा पशु कचरे के पुनः चक्रण;
- स्थानीय रूप से व्यवस्थित प्रणाली में नवीकरण योग्य संसाधनों पर निर्भर करने;
- मिटटी, पानी तथा जल के स्वस्थ उपयोग को बढावा देने तथा प्रदूषण के सभी रूपों को न्यूनतम करने;
- कृषि उत्पादों को ध्यानपूर्वक प्रसंस्करण पद्धतियों पर बल देते हुए हैण्डल करना ताकि सभी स्तरों पर उत्पाद की आर्गेनिक निष्ठता तथा महत्वपूर्ण गुणों को बनाया रखा जा सके ।

8.28 उत्पादकों की सहायता के लिए आर्गेनिक रूप से उत्पादित फसलों हेतु अपेक्षित प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण तथा सूचना सामग्री के वितरण के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जानी होती है । स्थायी तथा गैर-स्थायी फल-फसलों, सुगंधित पौधों, मसाले आदि हेतु आर्गेनिक कृषि को अपनाने के लिए क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अतिरिक्त लागत के 50 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त सहायता मुहैया करवाई जाएगी जोकि प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर हेतु 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगी, जो तीन वर्षों की अवधि तक फैली होगी अर्थात पहले वर्ष में 4000 रुपए और दूसरे तथा तीसरे प्रत्येक वर्ष में 3000 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी । सब्जियों की आर्गेनिक खेती हेतु अधिकतम सहायता तीन वर्षों की अवधि में फैली होगी और यह 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगी । सहायता का उपयोग खेत पर आदानों को उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा । एनएचएम 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को कवर करने वाले क्षेत्र हेतु किसानों के किसी समूह को आर्गेनिक प्रक्रिया/उत्पाद के प्रमाणीकरण हेतु मामला-दर-मामला आधार पर

आर्गेनिक कृषि के संबंध में क्या करें तथा क्या न करें

करें

1. आर्गेनिक कृषि हेतु केवल ऐसी फसलों को ही लिया जाना चाहिए जो किसानों को प्रीमियम मूल्य दे ।
2. आर्गेनिक कृषि में प्रवेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आर्गेनिक उत्पाद हेतु बाजार संयोजन हो ।
3. आर्गेनिक कृषि को अपनाया जाना संबंधित एजेंसियों द्वारा आर्गेनिक प्रमाणीकरण के साथ किया जाना चाहिए ।
4. आर्गेनिक कृषि को स्पष्टतः खेत पर आर्गेनिक इनपुट सामग्री के उत्पादन के साथ संयोजित किया जाना चाहिए ।

क्या न करें

1. आर्गेनिक कृषि को पृथक टुकड़ों में नहीं किया जाना चाहिए ।
2. आर्गेनिक कृषि आर्गेनिक आदानों की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए ।

राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए जाने के पश्चात अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान करेगा । यह सहायता 3 वर्षों की अवधि में पहले तथा दूसरे वर्ष हेतु 1.50 लाख रुपए प्रत्येक तथा तीसरे वर्ष में 2 लाख रुपए की दर से प्रलेखन, प्रशिक्षण तथा एपीडा द्वारा प्रत्यायित सेवा प्रदानकर्ता तथा प्रमाणीकरण एजेंसियों के प्रभारों को पूरा करने के लिए होगी । इस संबंध में पहले जारी किए जा चुके व्यापक दिशा-निर्देशों का अक्षरक्षः पालन किए जाने की आवश्यकता है ।

8.29 वर्मी खाद यूनिटों/आर्गेनिक उत्पादन यूनिटों हेतु सहायता 30'x8'x2.5' आकार वाली यूनिट हेतु सहायता 30 हजार रुपए प्रति लाभग्राही की अधिकतम सीमा के अधीन लागत के 50 प्रतिशत की दर से मुहैया करवाई जाएगी । छोटी इकाइयों हेतु सहायता प्रो-राटा आधार पर मुहैया करवाई जाएगी । 96 क्यूबिक फिट आकार (12'x4'x2') के एचडीपीई वर्मीबेड हेतु लागत 10 हजार रुपए प्रति बेड होगी । वर्मीकल्चर हेतु एग्रो टेक्सटाइल-एचडीपीई बुने गए बेडों के विनिर्देशन तथा डिजाइन पैरामीटर बीआईएस मानकों (आईएस 15907:2010) के अनुरूप होंगे ।

अच्छे कृषि व्यवहार (जीएपी)

8.30 किसानों को वैश्विक जीएपी के अनुसार अच्छे कृषि व्यवहारों को अपनाए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए एनएचएम के अंतर्गत जीएपी प्रमाणीकरण के एक नए घटक को प्रारंभ किया गया है ताकि किसान घरेलू तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद हेतु बेहतर मूल्य प्राप्त करने में समर्थ हो सके । इस प्रयोजन हेतु सहायता प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्रफल हेतु 5 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सीमा के अधीन लागत के 50 प्रतिशत की दर से होगी । इस प्रयोजन हेतु अंतर्ग्रस्त प्रमाणीकरण एजेंसी एपीडा द्वारा प्रत्यायित अनुमोदित सूची के अनुसार होगी ।

बागवानी में मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

8.31 प्रशिक्षण तथा प्रदर्शनों के माध्यम से मानव संसाधन विकास मिशन का एक अभिन्न भाग है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों, उद्यमियों, फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा । उच्च उत्पादन किस्मों की फसलों तथा कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए किसानों को उचित प्रशिक्षण देने हेतु कार्यक्रम को जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राज्य के बाहर चलाया जाएगा । क्रियान्वयन से संबंधित फील्ड स्तर के श्रमिकों से संबंधित पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम चलाया जाएगा जो अंततः किसानों को प्रशिक्षित करेंगे/उनका मार्गदर्शन करेंगे । प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किसानों को संसाधन सामग्री मुहैया करवाना और प्रदर्शनी तथा प्रदर्शनों के माध्यम से विभिन्न कृषि तकनीकों

से उन्हें परिचित कराना है । व्यापक तथा पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में प्रचार की भी आवश्यकता होगी । प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतर्ग्रस्त एजेंसियों को जिले के भीतर प्रशिक्षित प्रति किसान हेतु 400 रुपए की दर से, राज्य के भीतर प्रशिक्षित प्रति किसान हेतु 750 रुपए और राज्य के बाहर प्रशिक्षित प्रति किसान हेतु 1000 रुपए की दर से सहायता मुहैया करवाई जाएगी । इस क्रियाकलाप को सरकारी क्षेत्र तथा साथ ही निजी क्षेत्र दोनों द्वारा और संगठन की क्षमता पर निर्भर करते हुए एनजीओ द्वारा किया जाएगा । सफल तथा प्रगामी किसानों के खेतों का उपयोग प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में भी किया जा सकता है । किसानों को अन्य जिलों तथा राज्यों में अपनाए जा रहे उत्पादन व्यवहारों के संबंध में परिचित/प्रशिक्षित करवाने के लिए जिले तथा राज्य से बाहर के फील्ड दौरे भी किए जा सकते हैं । प्रशिक्षण-सह-दौरे का आयोजन 2 से 5 दिवस के मध्य की अवधि हेतु किया जाएगा ।

8.32 तकनीकी स्टाफ तथा फील्ड स्तर के कार्यकारियों/विस्तार श्रमिकों को राज्य में अथवा राज्य के बाहर आईसीएआर के विभिन्न संस्थानों में बागवानी में आधुनिक तकनोलॉजी पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा । इस प्रयोजन हेतु वास्तविक लागत 200 रुपए प्रति दिन प्रतिभागी तक सीमित होगी, और साथ ही लागू होने के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते को मुहैया करवाया जाएगा । तकनीकी स्टाफ/फील्ड कार्यकारियों हेतु राज्य के बाहर अध्ययन दौरे हेतु वास्तविक लागत 650 रुपए प्रति दिवस तक सीमित होगी तथा साथ ही प्रत्येक प्रतिभागी को लागू होने के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते को मुहैया करवाया जाएगा ।

पर्यवेक्षकों तथा उद्यमियों के प्रक्षिण हेतु लागत ढांचा

क्रम सं.	मद	लागत (रु. प्रति लाख)
1.	छात्रवृत्ति 1500/- रुपए प्रति माह की दर से (25 प्रशिक्षणार्थियों हेतु एक वर्षीय पाठयक्रम)	4.50
2.	आधारभूत ढांचे के सुदृढीकरण हेतु संस्थानों को सहायता (एक बार)	10.00
3.	पाठयक्रम सामग्री	0.25
4.	प्रचालनात्मक समर्थन	**5.25**
	कुल	**20.00**

8.33 पर्यवेक्षकों, उद्यमियों एवं मालियों तथा फील्ड कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता 11वीं योजना के दौरान जारी रहेगी।

8.34 पर्यवेक्षकों, उद्यमियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चुनिंदा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/आईसीएआर संस्थानों के माध्यम से और मालियों हेतु प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एसएयू के माध्यम से किया जाएगा, जबकि विभागीय स्टाफ को विभिन्न चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा । इन प्रशिक्षणों हेतु प्रशिक्षण व्यय मिशन द्वारा पूरा किया जाएगा ।

8.35 पर्यवेक्षकों तथा उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु न्यूनतम योग्यता उच्चतर माध्यमिक, और मालियों हेतु यह 8वीं कक्षा (मिडिल) होगी। पर्यवेक्षकों तथा उद्यमियों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने की निर्देशात्मक लागत 20 लाख रूपये होगी जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

मालियों के प्रशिक्षण हेतु लागत ढांचा (एक वर्ष में दो पाठ्यक्रम)

क्रम सं.	मद	लागत (रु. प्रति लाख)
1.	छात्रवृत्ति 1000/- रुपए प्रति माह की दर से (25 प्रक्षिणार्थियों हेतु एक वर्षीय पाठ्यक्रम)	3.00
2.	आधारभूत ढांचे के सुदृढीकरण हेतु संस्थानों को सहायता (एक बार)	6.50
3.	पाठ्यक्रम सामग्री	0.25
4.	प्रचालनात्मक समर्थन	5.25
	कुल	**15.00**

8.36 इसी प्रकार मालियों हेतु प्रक्षिण कार्यक्रम आयोजित करने की निर्दानात्मक लागत 15 लाख रुपए होगी जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं -

8.37 प्रशिक्षण संस्थानों को कृषि एवं सहकारिता विभाग के साथ परामर्श से इस ढांचे के भीतर पाठ्यक्रम ब्यौरों को बनाने का विकल्प दिया गया है ।

8.38 ऐसे राज्यों में जहां पहले से मजबूत बागवानी उत्पाद आधार और बागवानी में प्रशिक्षण हेतु संस्थागत ढांचा विद्यमान है, वहां बागवानी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।

8.39 प्रशिक्षण हेतु चिन्हित संस्थानों में आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे कि कक्षाएं, स्टाफ, छात्रावास सुविधाएं आदि होनी चाहिए ।

8.40 पाठ्यक्रम पर्यवेक्षकों हेतु एक वर्ष की अवधि के और मालियों हेतु 6 माह की तथा उद्यमियों हेतु 3 माह की अवधि के होंगे । उम्मीदवारों को आकर्षित करने और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें बनाए रखने तथा उनके द्वारा छोड़े जाने को रोकने के लिए संबंधित संस्थान में आवास तथा रहन-सहन प्रभारों के रूप में एक मासिक छात्रवृत्ति मुहैया करवाई जाएगी । ये पाठ्यक्रम आवासीय होंगे । प्रशिक्षण के अंत में पर्यवेक्षकों को बागवानी में डिप्लोमा और मालियों तथा उद्यमियों को बागवानी में प्रशिक्षण का एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा । प्रत्येक प्रतिभागिता वाले संस्थान में वार्षिक तौर पर लगभग 25 पर्यवेक्षक, 50 माली तथा 25 उद्यमी प्रशिक्षित किए जाएंगे ।

8.41 ये प्रशिक्षित व्यक्ति बागवानी विकास में रत राज्यों तथा अन्य संगठनों द्वारा रोजगार हेतु संभावित उम्मीदवार होंगे ।

8.42 राज्यों द्वारा बागवानी संबंधित विषयों पर विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की मंशा पर उक्त हेतु संबंधित राज्य(यों) की सिफारिश के आधार पर सीधे संस्थान को सहायता मुहैया करवाई जाएगी । ऐसा प्रशिक्षण आमतौर पर 20 से 25 प्रतिभागियों हेतु 7-10 दिवस की अल्पावधि हेतु होगा ।

8.43 अन्यों को प्रशिक्षित करने के अपेक्षा होने वाले प्रशिक्षकों को एक सीमित सीमा तक विदेश में भी प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकता है जिसके लिए यात्रा लागत तथा पाठ्यक्रम शुल्क को पूरा करने के लिए सहायता मुहैया करवाई जाएगी । इस प्रयोजन हेतु संबंधित राज्य के बागवानी/कृषि विभाग/एसएचएम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे । एसएचएम को उनके विशिष्ट प्रस्ताव पर आधारित मिशन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अंतर्ग्रस्त उम्मीदवारों के व्यय को पूरा किए जाने हेतु निधियां उपलब्ध करवाई जाएंगी ।

मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण समर्थन

8.44 कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए मधुमक्खी का उपयोग एक महत्वपूर्ण आदान के रूप में किया जा सकता है । राज्य में मधुमक्खी पालन विकास कार्यक्रम के समन्वय का समग्र उत्तरदायित्व चिन्हित राज्य नामित एजेंसी (एसडीए) अथवा क्षमता होने वाले किसी संस्थान/समाज में निहित होगा । नोडल राज्य नामित एजेंसियां (एसडीए) जो मधुमक्खी पालन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही हैं, उन्हें एनएचएम में एकीकृत किया जाएगा । और संबंधित एसडीए के प्रतिनिधि राज्य स्तरीय अधिशासी समिति के सदस्य होंगे ।

न्यूक्लीयस स्टॉक का विकास तथा वृद्धि

8.45 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) केन्द्र और सार्वजनिक तथा निगमित क्षेत्र में अन्य संस्थान चुनिन्दा मधुमक्खी प्रजातियों **(ए.सेराना तथा ए.मेलीफेरा)** के न्यूक्लीयस स्टाक को विकसित करने में रत होंगे । इन संस्थानों को विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जिसमें उनके विद्यमान आधारभूत ढांचे तथा कमियों को दर्शाया गया होगा जिन्हें हटाए जाने की आवश्यकता है और सहायता पर परियोजना-दर-परियोजना आधार पर विचार किया जाएगा जोकि 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन है ।

8.46 निगमित/निजी क्षेत्र से मधुमक्खी प्रजननकर्ता एसडीए के साथ पंजीकृत होंगे और उनका चयन उनकी तकनीकी विशेषज्ञता, दक्ष कार्मिक तथा आधारभूत ढांचे के आधार पर किया जाएगा । पंजीकृत मधुमक्खी प्रजननकर्ता सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता के पात्र होंगे जोकि अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं की लागत के अधिकतम 50 प्रतिशत तक होगा और 3 लाख रुपए प्रति प्रजननकर्ता तक सीमित रहेगा, जोकि मुख्यतः आधारभूत ढांचा सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए होगा । प्रत्येक मधुमक्खी प्रजननकर्ता को 5 वर्षों की अवधि हेतु प्रतिवर्ष न्यूनतम 3000 कालोनियों की वृद्धि करनी होगी तथा उन्हें उत्पन्न करना होगा । तथापि, यदि कोई प्रजननकर्ता उक्त लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो एसडीए अनुपातिक रूप से सहायता को कम करने के लिए उचित कदम उठाएगी ।

मधुमक्खी कालोनियों, छत्तों तथा उपकरणों का वितरण

8.47 उपर्युक्तानुसार वर्णित किए गए तरीके से चुनिन्दा मधुमक्खी प्रजननकर्ताओं द्वारा उत्पादित अच्छी मधुमक्खी कालोनियों को किसानों/मधुमक्खी पालकों को वितरित किया जाएगा और अच्छी मधुमक्खी कालोनियों के क्रय को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी जो 4 फ्रेमों की 700/- रुपए प्रति कालोनी की अधिकतम सीमा तक लागत के 50 प्रतिशत की दर पर होगी । एपिस सेराना की कालोनियां सस्ती होती हैं और इसलिए ऐसे मामले में आर्थिक सहायता की राशि कम होगी । पंजीकृत मधुमक्खी पालको को एसडीए द्वारा उनके प्रत्येक छत्ते हेतु एक उचित पहचान संख्या दी जाएगी ।

8.48 मानक मधुमक्खी छत्ते मधुमक्खी कालोनियों के रख-रखाव हेतु एक पूर्व आवश्यकता है । इसलिए गुणवत्ता वाले छत्तों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उददेश्य से छत्तों की लागत के 50 प्रतिशत की दर से अथवा 800/- रुपए प्रति छत्ते की दर से, जो भी कम हो, आर्थिक सहायता समर्थन मुहैया करवाया जाएगा । मधुमक्खी छत्तों तथा संबधित उपकरणों की आपूर्ति में शामिल ख्याति प्राप्त विनिर्माताओं एसडीए के साथ पंजीकृत होंगे । एसडीए यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उन्हीं विनिर्माताओं को पंजीकृत किया जाएगा जो मानक विनिर्देशनों के छत्तों का निर्माण करते हैं । प्रत्येक लाभग्राही 50 कालोनियों तथा छत्तों हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करेगा ।

8.49 मधुमक्खियों की आपूर्ति करते समय ऐसे किसानों/मधुमक्खी पालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण लिया है ।

8.50 7000/- रुपए की सीमा तक की लागत के 50 प्रतिशत की दर पर शहद निकालने वाले तथा फूड ग्रेड कंटेनर जैसे मधुमक्खी पालन उपकरणों हेतु सहायता मुहैया करवाई जाएगी ।

8.51 मधुमक्खी पालन के कुछ क्रियाकलापों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा भी किया जाएगा और यह बोर्ड इस मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन के सभी क्रियाकलापों हेतु समन्वय एजेंसी होगा ।

प्रदर्शनों/फ्रंट लाइन प्रदर्शन के माध्यम से तकनोलाजी प्रसार

8.52 फसल विशिष्ट खेती, आईपीएम/आईएनएम के उपयोग, संरक्षित कृषि, एक हेक्टेयर के क्षेत्र में किसान भागीदारी प्रदर्शन के माध्यम से आर्गेनिक कृषि किसान पर नवीनतम तकनोलाजियों को बढावा दिया जाएगा जिसे किसानो के खेत में सामरिक स्तरों पर आयोजित किया जाएगा जिसके लिए सहायता लागत के 75 प्रतिशत तक सीमित होगी । ग्रीन हाउस खेती हेतु क्षेत्र 500 वर्ग मीटर तक सीमित होगा । सार्वजनिक क्षेत्र में फार्म, एसएयू फ्रंट लाइन प्रदर्शन हेतु स्थल हो सकते हैं जिसके लिए 100 प्रतिशत सहायता मुहैया करवाई जाएगी और अधिकतम सहायता 25 लाख रुपए प्रति परियोजना से अधिक नहीं होगी ।

बागवानी मशीनीकरण

8.53 बागवानी मशीनीकरण को खेत दक्षता में सुधार और फार्म जनशक्ति के लिए कड़ी मेहनत में कमी करने हेतु बागवानी के मशीनीकरण को बढावा देने के लिए एक नए क्रियाकलाप के रूप में शामिल किया गया है । इस संबंध में सहायता ऐसे क्रियाकलापों हेतु मुहैया करवाई जाएगी जैसे कि विद्युत चालित मशीनों तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति, तथा उसके अतिरिक्त **अनुबंध-3** में दिए गए ब्यौरों के अनुसार नई मशीनों के आयात हेतु । बागवानी मशीनीकरण हेतु सहायता ऐसे उत्पादक संघों, किसान समूह, स्व-सहायता समूहों, महिला किसान समूह, को भी उपलब्ध कराई जाएगी । जिनके कम से कम 10 सदस्य हों, जो बागवानी फसलों की खेती में रत हों, डीएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत हों, बशर्ते मशीनों तथा उपकरणों की लागत के शेष 50 प्रतिशत को उनके द्वारा वहन किया जाए । एसएचएम मशीनों तथा उपकरणों के उचित रख-रखाव, चालन तथा अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे संघों/समूहों के साथ समझौता ज्ञापन करेगा ।

एकीकृत कटाई-पश्च प्रबंधन

8.54 कटाई-पश्च प्रबंधन में पैकेजिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, उपचार तथा पकना और भंडारण शामिल होता है । ये सुविधाएं बागवानी उत्पाद की बाजार योग्यता में वृद्धि करने, उत्पाद के मूल्यवर्धन, लाभप्रदत्ता में वृद्धि करने तथा हानियों को कम करने के लिए आवश्यक है । बागवानी उत्पाद के भण्डारण, परिवहन, विपणन, पैकेजिंग तथा ग्रेडिंग एवं निर्यात हेतु आधारभूत ढांचा सुविधाओं के एक नेटवर्क को बनाना प्रस्तावित है । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की विद्यमान योजनाओं का अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किया जाएगा । इस संदर्भ में एनएचएम के अंतर्गत लिए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रमों में पैक ग्रहों, प्री-कूलिंग यूनिटों, मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिटों, कोल्ड स्टोरेज यूनिटों, नियंत्रित (सीए) भण्डारण/संशोधित वातावरण (एमए), रेफ्रीजरेटिड वैन/कंटेनरों, प्राथमिक/मोबाइल प्रसंस्करण यूनिटों, पकाए जाने के चैम्बरों, इवेपोरेटिव/निम्न ऊर्जा वाले ठण्डे चैम्बरों, बचाव इकाइयों, प्याज भण्डारण यूनिटों तथा शून्य ऊर्जा शीत चैम्बरों का भण्डारण/आपूर्ति की स्थापना शामिल

हैं । ये सभी परियोजनाएं व्यावसायिक उद्यमों के माध्यम से उद्यमी चालित होंगी जिसके लिए **अनुबंध-3** में दिए गए लागत मानदण्डों के अनुरूप पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता से संयोजित क्रेडिट की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी । पीएसयू तथा राज्य सरकार के एजेंसियां, सहकारी, उत्पादक संघ, किसान समूहों, स्व-सहायता समूहों, महिला किसान समूहों, जो डीएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत हों, जिनके पास कम से कम 25 सदस्य हों, वे समान सीमा तक ऐसे क्रियाकलापों हेतु सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे । तथापि, ऐसी एजेंसियों हेतु सहायता क्रेडिट संयोजित नहीं होगी बल्कि पश्च सिरे वाली होगी जोकि इस शर्त के अधीन होगी कि वे परियोजना लागत के अपने अंश को पूरा करने में समर्थ हों ।

8.55 नए कोल्ड स्टोरेज/सीए स्टोरेज /एमए स्टोरेज को स्थापित करने हेतु सहायता केवल नवीनतम/नई तकनोलाजी के साथ मल्टी-चैम्बर कोल्ड स्टोरेज यूनिटों हेतु ही उपलब्ध होगी जोकि ऊर्जा दक्ष हैं तथा जिनमें इन्सूलेशन, आर्द्रता नियंत्रण, उन्नत कूलिंग प्रणाली आदि हेतु मंत्रालय द्वारा अनुमोदित विनिर्देशन तथा मानकों के अनुसार प्रावधान है ।

8.56 कोल्ड स्टोरेज द्वारा निम्नलिखित को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता होगी -

(क) समान तापमान तथा आर्द्रता स्थितियों को बनाए रखने के लिए ऐसी कॉइलस तथा डिफ्यूजर प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए जिनके पास दक्ष ऊष्मा अंतरण सतही क्षेत्र हो तथा वायु संचलन हो ।

(ख) रेफ्रीजरेटर उपकरण कोल्ड स्टोरेज में भिन्न शीत आवश्यकताओं को हैण्डिल करने में समर्थ होने चाहिए । प्रयुक्त रेफ्रीजरेंट वातावरण अनुकूल होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, रेफ्रीजरेशन प्रणाली अधिकतम दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए प्रबोधन तथा नियंत्रण तंत्र से लैस होनी चाहिए ।

(ग) कम्प्रेसर उचित क्षमता के साथ रेसीप्रोकेटिंग अथवा स्क्रू प्रकार के बहु सिलेंडर वाले होने चाहिए ।

(घ) कंडेसरों को कोल्ड स्टोर के प्रचालन घंटों को मन्द करने के लिए उचित प्रकार से बनाया गया होना चाहिए और इससे विद्युत उपयोग मे कमी आएगी ।

(ङ) उचित थर्मल इन्शूलेशन के उपयोग किए जाने की आवश्यकता होती है जिसमें बाहरी ओर वाष्प अवरोधक का प्रावधान और भीतरी ओर क्लेडिंग/कवर सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, इन्सूलेशन हेतु उचित बीआईएस मानक (आईएस 661:2000) और आईएस 661 के अनुरूप तापीय इन्सूलेशन के नियोजन में उचित पद्धति तथा व्यवहारों के कोड पर आईएस 13205 को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(च) भण्डारण यूनिट के उचित चालन तथा अनुरक्षण हेतु दक्ष एवं प्रशिक्षित कार्मिक होने चाहिए ।

(छ) कम से कम दो चैम्बर मुहैया करवाए जाने चाहिए, चाहे भण्डारण की क्षमता कम भी हो ।

(ज) प्रत्येक चैम्बर में तापमान तथा आर्द्रता के उचित नियंत्रण एवं प्रदर्शन उपकरण मुहैया करवाए जाने चाहिए ।

झ) कोल्ड स्टोरेज में मंजिलों के मध्य उचित अंतर के साथ बैग/बक्शों में उत्पादन के बल्क भण्डारण हेतु उचित मेजेनाइन मंजिलें होनी चाहिए ।

(ञ) कोल्ड स्टोरों में प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए जिसमें मशीनीकृत छंटाई, ग्रेडिंग, धुलाई, पैकिंग/ बैगिंग लाइनें होनी चाहिए ।

8.57 कोल्ड स्टोरेज की थर्मल इन्सूलेशन के उन्नयन हेतु परियोजना लागत प्रति मीट्रिक टन 1000/- रुपए तक सीमित होनी चाहिए और कूलिंग प्रणाली, वायु प्रवाह, इलेक्ट्रिक स्थापन, हैण्डलिंग उपकरणों/सुरक्षा उपकरणों हेतु परियोजना लागत प्रति मीट्रिक टन 2000/- रुपए तक सीमित होनी चाहिए ।

8.58 विनिर्देशनों तथा प्रोटोकॉल के साथ इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश एनएचएम वेबसाइट www.nhm.nic.in और एनएचबी बेडसाइट www.nhb.gov.in पर उपलब्ध हैं ।

8.59 किसी पृथक मद के विहित मानदण्डों के भीतर किसी लाभग्राही द्वारा पीएचएम आधारभूत ढांचे के एक संयोजन हेतु भी सहायता प्राप्त की जा सकती है ।

बाजार आधारभूत ढांचे का निर्माण

8.60 विपणन हेतु भी कार्यक्रम परियोजना आधारित होते हैं । राज्य मिशन, राज्य की एसएलईसी द्वारा अनुमोदन के पश्चात अर्थक्षम परियोजनाओं को ईसी को प्रस्तुत करेंगी ।

8.61 इस घटक के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के मुख्य उददेश्य हैं - (क) बागवानी उत्पादों हेतु विपणन आधारभूत ढांचे के विकास में निजी तथा सहकारी क्षेत्रों से निवेश को प्रेरित करना; (ख) थोक/ग्रामीण हाट सहित विद्यमान बागवानी बाजारों को सुदृढ करना; (ग) किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए फार्म/बाजार स्तर पर बागवानी उत्पाद की ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर ध्यान देना; और (घ) किसानों, उपभोक्ताओं, उद्यमियों तथा बाजार कार्यकारियों के मध्य बाजार संबंधित कृषि व्यवहारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना ।

8.62 योजना के अंतर्गत सहायता थोक बाजारों, ग्रामीण बाजारों/अपनी मंडी तथा रिटेल बाजारों हेतु क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में मुहैया करवाई जाएगी । अंतिम बाजार के मामले में सहायता अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार मुहैया करवाई जाएगी जिसके लिए दिशा-निर्देश पृथक रूप से जारी किए गए हैं । शीत चैम्बर के साथ स्थिर मोबाइल बिक्री कार्ट प्लेटफार्म हेतु भी सहायता लागत के 50 प्रतिशत की दर से मुहैया करवाई जाएगी जोकि अधिकतम 15000/- रुपए प्रति यूनिट होगी ।

(1) क्रियात्मक ढांचा स्थापित करने के लिए सहायता लागत के 40 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में होगी । इस योजना के प्रयोजन हेतु "विपणन आधारभूत ढांचे" में निम्नलिखित में से कुछ भी शामिल हो सकता है -

(क) एकत्रीकरण/इक्कठा करने, सुखाने,साफ करने, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण, एसपीएस उपायों तथा गुणवत्ता प्रमाणीकरण, लेबलिंग, पैकेजिंग, पकाने वाले चैम्बर, रिटेल तथा थोक बिक्री, मूल्यवर्धन (उत्पाद के रूप में परिवर्तन किए बिना) सुविधाओं हेतु क्रियात्मक आधारभूत ढांचा । विभिन्न क्रियाकलापों तथा बाजार आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सहायता **अनुबंध-3** में दिए गए ब्यौरे के अनुरूप होगी ।

(ख) परियोजना क्षेत्र में बाजार उपयोगकर्ताओं हेतु समान सुविधाएं जैसे कि दुंकाने/कार्यालय, उत्पाद की लोडिंग/अन लोडंग, एकत्रीकरण तथा बोली हेतु प्लेटफाम्र, पार्किंग शेड, भीतर की सड़के, कचरा निपटान व्यवस्थाएं, जिसमें पेयजल, स्वच्छता व्यवस्थाएं शामिल हैं, भार करने वाले तथा मैकेनिकल हैण्डलिंग उपकरण ।

(ग) उत्पादकों से उपभोक्ताओं/प्रसंस्करण इकाइयों/बल्क क्रेताओं को बागवानी उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन हेतु आधारभूत ढांचा ।

(2) बाजारों की स्थापना हेतु सहायता केवल उन्हीं राज्यों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने अपने राज्य कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन करके बागवानी में रत किसानों/किसान समूह द्वारा वैकल्पिक विपणन को सुकर बनाया है । सुधारों द्वारा किसानों को अपना उत्पाद बिना किसी कर अथवा उप-कर के बेचे जाने को सुकर बनाया जाना चाहिए ।

जहाँ बाजार यार्डों पर उपयोगकर्ता प्रभार लगाए जा सकते हैं, वहीं सरकारी निकायों द्वारा चलाई जा रही मण्डियों/बाजारों में मण्डी यार्ड के बार किए गए कारोबार के मामले में किसानों पर कोई अन्य उपकर नहीं लगाया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, निजी निकायों को भी बागवानी उत्पाद हेतु बाजार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना ।

(3) व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूह, भागीदारी/स्वामित्व वाली फर्मो, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्व-सहायता समूह (एसएचजी) कम्पनियों, निगमों, सहकारिताओं, सहकारी विपणन परिसंघों, स्थानीय निकायों, कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्डों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध होगी । केवल उन्हीं एपीएमसी द्वारा प्रस्तुत परियोजना पर ही सहायता हेतु विचार किया जाएगा जो बागवानी उत्पादों पर बाजार उपकर नहीं लगाती हैं ।

(4) आधारभूत ढाचा परियोजनाओं में अंतर्ग्रसत भूमि की लागत ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 10% और नगर निगम क्षेत्रों में 20% तक सीमित रहेगी । कोई भी उद्यमी ऋण की अवधि के दौरान जिस प्रयोजन हेतु परियोजना स्वीकृत की गई है उसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि को नहीं त्यागेगा । इस संबंध में डीपीआर में उद्यमी से एक पृथक वचन शामिल किया जाना अपेक्षित होता है । परियोजना के आकार का निर्धारण आर्थिक व्यवहार्यता तथा वाणिज्यिक विचारों के आधार पर किया जाएगा ।

8.63 मिशन के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण/विश्लेषण प्रयोगशाला के एक नए घटक को शामिल किया गया है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में बागवानी उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करने हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचे तथा जनशक्ति होने वाली गुंणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ।

8.64 पश्च सिरे वाली क्रेडिट संयोजित परियोजनाओं में आर्थिक सहायता की राशि सावधि ऋण से अधिक नहीं होगी । एकीकृत कटाई-पश्च प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु **अनुंबंध-3(सी)** में निर्दिष्ट क्षमता की गणना एक वर्ष में में अधिकतम औसत कार्य दिवस क्षमता पर की जाएगी ।

निर्यात संवर्धन

8.65 कृषि-निर्यात क्षेत्रों के माध्यम से ऐसे बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे जिनके लिए एक सम्भाव्य वैश्विक बाजार है । ईसी, जीसी तथा सरकार द्वारा विचार किए जाने हेतु विभिन्न बागवानी उत्पादों के निर्यात को सुकर बनाने के लिए उचित विधिक तथा संवर्धनात्मक उपायों की जांच करने तथा उनकी सिफारिश करने के प्रयोजन से विशेष समूह गठित किए जाएंगे । राज्य मिशन प्राधिकारी भी राज्यों के उत्पाद के निर्यातों को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन प्राधिकारियों को उचित सिफारिशें करेंगे ।

8.66 राज्य मिशन प्राधिकारी अपनी विपणन कार्यनीतियों को राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों नामतः राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), जनजातीय सहकारी विपणन

विकास परिसंघ (ट्राइफेड) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और लघु कृषक कृषि-व्यापार संघ (एसएफएसी) की योजनाओं का अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किया जाना चाहिए ।

प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन

8.67 बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है । जहां प्राथमिक/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाइयों को एनएचएम के अंतर्गत संवर्धित किया जाएगा, बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण इकाइयों का संवर्धन खाद एवं प्रसंस्करण मंत्रालय (एमएफपीआई) द्वारा अपने चालू योजनाओं मे से किया जाएगा ।

सूक्ष्म सिंचाई

8.68 ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई बागवानी उत्पाद की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु एक आवश्यक आदान है । इस तकनोलॉजी के संवर्धन हेतु वित्त-पोषण को भारत सरकार की सूक्ष्म सिंचाई पर एक पृथक योजना के माध्यम से मुहैया करवाया जाएगा ।

9. मिशन प्रबंधन

राज्य बागवानी मिशन/क्रियान्वयन एजेंसियों को सपोर्ट

9.1 राज्य तथा जिला मिशन कार्यालयों और क्रियान्वयन एजेंसियों में मिशन के विभिन्न क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु प्रशासनिक व्यय, फील्ड परामर्शदाता, परियोजना तैयार करने, कम्प्यूटरीकरण, आकस्मिकता आदि हेतु कुल वार्षिक व्यय के 5% को राज्य बागवानी मिशन/क्रियान्वयन एजेंसियों को मुहैया करवाया जाएगा । राज्य/क्रियान्वयन एजेंसियां इसके लिए अपनी वार्षिक योजना में प्रावधान करेंगी ।

संस्थागत सुदृढीकरण

9.2 राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर मिशन मुख्यालय को सुदृढ किया जाएगा जिसमें डाटाबेस विकास, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सॉफ्टवेयर का विकास तथा हार्डवेयर की अधिप्राप्ति, वाहन आदि को किराए पर लिया जाना शामिल है जिसके लिए वित्त पोषण मिशन के टीएसजी घटक के अंतर्गत किया जाएगा ।

सहकारिताओं तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के लिए आधारभूत ढांचा विकास हेतु समर्थन

9.3 एनएचएम अपवाद स्वरूप मामलों में राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को निधियां मुहैया करवाएगा जिसमें बागवानी विकास, कटाई-पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण तथा विपणन के क्षेत्र में नूतन परियोजनाओं को लेने वाली सहकारिताएं शामिल हैं, जोकि उसकी वित्तीय स्थिति की दृढता तथा पिछले अनुभव पर निर्भर करेगा । वित्त पोषण को मिशन के संगत घटकों के अंतर्गत मुहैया करवाया जाएगा ।

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग

9.4 एफएओ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और जिन देशों ने एक आधुनिक बागवानी क्षेत्र को विकसित किया है, बागवानी के विकास हेतु कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए उनसे सहयोग लिया जाएगा । एफएओ एक एकपक्षीय न्यास निधि (यूटीएप) कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर परियोजनाओं के प्रचालन

का प्रावधान है । सहयोगात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत लिए जाने वाले क्रियाकलापों में बागान सामग्री का आयात, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र विशेषज्ञों को लिया जाना, अध्ययन दौरों का आयोजन, एनएचएम के तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल होगा । इस प्रयोजन हेतु निधियां कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक बजट में मिशन के टीएसजी घटक के अंतर्गत निर्दिष्ट की जाएंगी ।

मूल्यांकन एवं अन्य अध्ययन

9.5 11वीं योजना के अंत में अवधि के अंत का मूल्यांकन किया जाएगा । उपयुक्त एजेंसियों को नियोजित करके समवर्ती मूल्यांकन भी किए जाएंगे । ऐसे अध्ययनों हेतु सहायता परियोजना आधार पर होगी । एनएचएम आवश्यकता तथा उभरती हुई जरूरतों पर निर्भर करते हुए बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर अल्पावधि अध्ययन भी प्रारम्भ करेगा । ऐसे अध्ययन भी परियोजना आधार पर होंगे । प्रबोधन मिशन, जिसमें विशेषज्ञ शामिल होंगे,को राष्ट्रीय मिशन द्वारा समय-समय पर राज्यों में भेजा जाएगा जिसका आयोजन एनएचबी में समाहित टीएसजी के माध्यम से किया जाएगा । राज्य भी राज्य स्तरीय टीएसजी घटक के अंतर्गत परियोजना आधार पर मूल्यांकन अध्ययनों का आयोजन करेंगे ।

10. एनएचएम के अंतर्गत समग्र लक्ष्य

10.1 ग्यारहवीं योजना के दौरान मिशन हेतु राष्ट्रीय स्तरीय अस्थायी लक्ष्य व्यापक तौर पर निम्नानुसार हैं -

व्यापक लक्ष्य

(क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में)

कार्यक्रम	
नर्सरी (सं)	2487
टिशु कल्चर यूनिट (संख्या)	25
उत्पादकता में वृद्धि पर फोकस के साथ उन्नत किस्मों के साथ क्षेत्र विस्तार (हेक्टेयर)	15.83
पुनरूद्धार (हेक्टेयर)	5.20
आर्गेनिक कृषि (हेक्टेयर)	2.21
एकीकृत कीट प्रबंधन (हेक्टेयर)	15.00
जल स्रोतों का सृजन (संख्या)	8235
छत्तों के साथ मधुमक्खी कालोनियों का वितरण (संख्या 1000 में)	340
बागवानी मशीनीकरण (संख्या)	7215
मानव संसाधन विकास - किसानों का प्रशिक्षण (संख्या 1000 में)	846
पीएचएम आधारभूत ढांचा (संख्या)	6182
बाजार (संख्या)	604

अनुबंध-1

राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर एनएचएम की संरचना एवं संघटन*

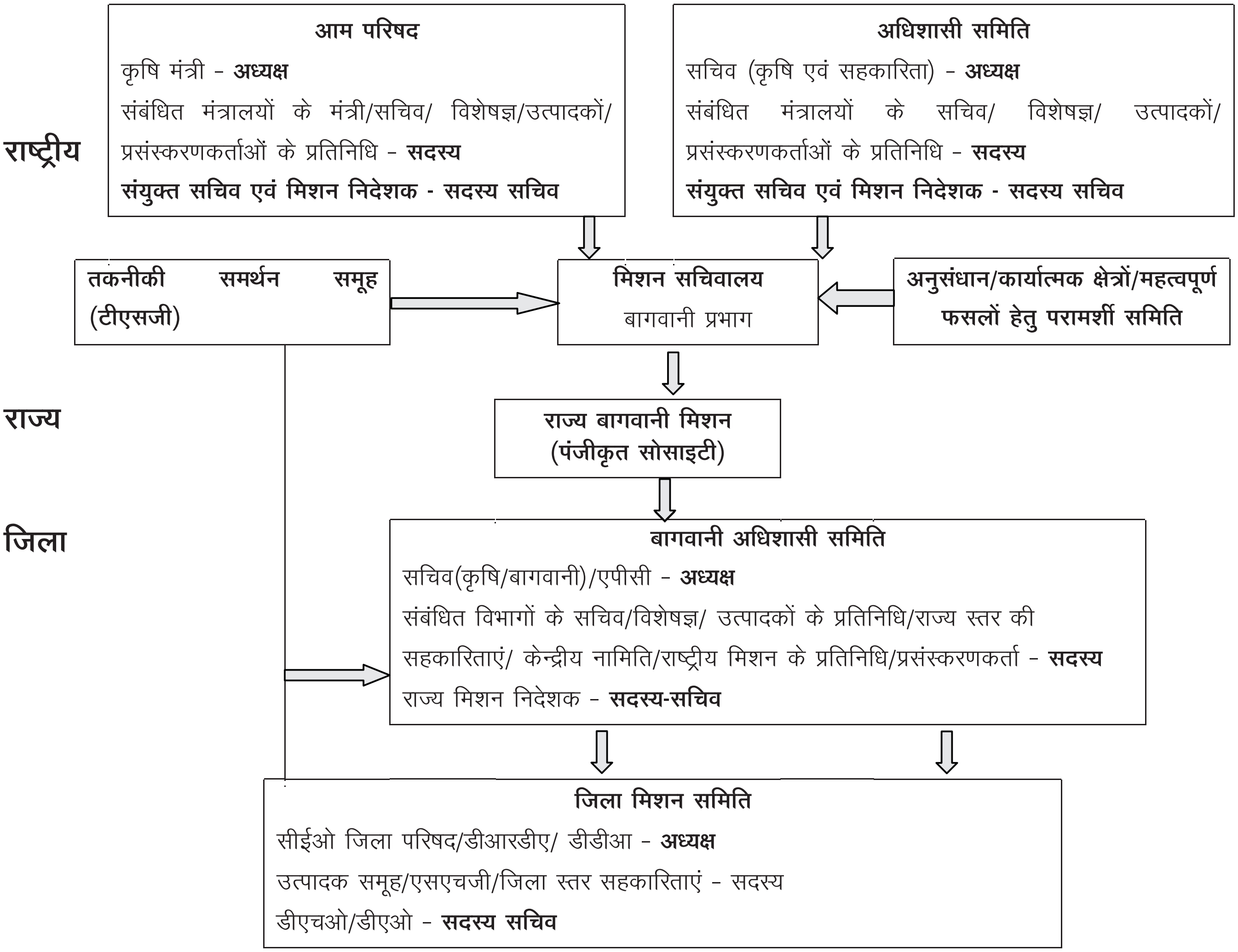

* उक्त ढांचा निर्देशनात्मक है । राज्य स्तर पर और राज्य स्तर के नीचे संस्थागत व्यवस्था लोचशील होनी चाहिए और राज्य के पास एक उचित मॉडल को अपनाने की लोचशीलता होनी चाहिए अर्थात एनडीडीबी के पैटर्न पर सहकारी परिसंघ, अधिनिगमित की गई कंपनियां(अधिप्राप्ति हेतु सहकारिताओं के साथ, प्रसंस्करण हेतु संयुक्त क्षेत्र के साथ और विपणन हेतु कारपोरेट के साथ) अथवा मिशन के कार्यों को करने के लिए विद्यमान संस्थानों को अभिमुख करना चाहिए ।

अनुबंध-2

राज्य बागवानी मिशन द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रारूप

राज्य का नाम :

कार्रवाई योजना का वर्ष :

सार संकेतक :

क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता (एपीपी) (वर्ष 200*)

क्रम सं.	फसल	क्षेत्र (1000 हेक्टे. में)	उत्पादन (1000 टन में)	उत्पादकता (हेक्टेयर प्रति टन)
1.	फल (क) बारहमासी फल का नाम (1) (2) (ख) बारहमासी न होने वाले फल का नाम (1) (2)			
2.	सब्जी फसलें नाम (1) (2)			
3.	मसाले (क) बीज प्रजाति का नाम (1) (2) (ख) रीझोमेटिक प्रजाति का नाम (1) (2) (ग) वृक्ष प्रजाति का नाम (1) (2)			
4.	फूल (1) खुले फूल (2) कंदीय फूल (3)कटे हुए फूल			
5.	सुगंधित पौधे नाम (1) (2)			
6.	बागान फसल (1) (2)			
7.	मशरूम			
	कुल			

(*यह राज्य में प्रत्येक जिले हेतु एपीपी डाटा से समर्थित होना चाहिए)

कार्रवाई योजना का सार -

वित्तीय

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	क्रियाकलाप	शेष (01.04.200 को)	कार्रवाई योजना के अनुसार परिव्यय	कुल का प्रतिशतता
1.	उत्पादन तथा उत्पादकता			
2.	कटाई-पच प्रबंधन			
3.	विपणन			
4.	प्रबोधन/टीएसजी			
	कुल			

भौतिक - वर्ष हेतु (मात्रात्मक प्रमुख उत्पादन) -

क्रम सं.	क्रियाकलाप	हेक्टे./स	क्रम सं.	क्रियाकलाप	हेक्टे./स
1.	नई नर्सरियां		7.	जल स्रोत (संख्या)	
2.	फसल-वार क्षेत्र की अतिरिक्त कवरेज को दिया जाए (हेक्टेयर)		8.	पीएचएम आधारभूत ढांचा (संख्या)	
3.	पुनरूद्धार (हेक्टेयर)		9.	नए बाजार (संख्या)	
4.	आईएनएम/आईपीएम (हेक्टेयर)		10.	नई प्रसंस्करण इकाइयां (संख्या)	
5.	संरक्षित कृषि (हेक्टेयर)		11.	किसानों का प्रशिक्षण (संख्या)	
6.	आर्गेनिक कृषि (हेक्टेयर)				
	कुल			कुल	

अनुबंध-2(जारी)

विस्तृत कार्य योजना को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप
विवरण

1. पृष्ठभूमि सूचना

1.1 भूगोल तथा जलवायु

1.2 बागवानी की संभाव्यता

1.3 भूमि उपलब्धता

1.4 शक्ति, कमजोरी, अवसर तथा चुनौतियां (एसडब्ल्यूओसी) विलेषण

1.5 गुणवत्ता तथा प्रत्यायन सुनिश्चित करने के तंत्र के साथ बागान सामग्री की आवयकता तथा उपलब्धता को दर्शाने वाली नर्सरी उप-योजना

2. परियोजना ब्यौरे

2.1 उददेश्य, कार्यनीति तथा तरीका

2.2 संपर्क पते, फोन तथा ई-मेल आईडी के साथ क्रियान्वयन एजेंसी

2.3 वार्षिक कार्रवाई योजना की मुख्य विशेषताएं

2.4 आधारभूत ढांचे के समर्थन सहित बागान विकास

2.5 कटाई पश्च आधारभूत ढांचा तथा प्रबंधन

2.7 बागान सामग्री का उत्पादन

2.8 नए बगीचों की स्थापना

2.8.1 फल (बारहमासी)

2.8.2 फल गैर-बाराहमासी

2.8.3 मसाले तथा सुगंधित पौधे

2.8.4 फूल

2.8.5 बागान फसलें

2.9 जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार/प्रतिस्थापन

2.10 संरक्षित कृषि

2.11 आईएनएम/आईपीएम का संवर्धन

2.12 प्रमाणीकरण के साथ आर्गेनिक कृषि

2.13 जल स्रोतों का सृजन

2.14 बागवानी में मानव संसाधन विकास

2.15 कटाई-पश्च प्रबंधन आधारभूत ढांचा

2.16 विपणन आधारभूत ढांचा

3 **मिशन प्रबंधन**

4 **अनुबंध**

1. राज्यों तथा जिलों का मानचित्र जिसमें संभावित वेल्ट तथा विद्यमान आधारभूत ढांचागत सुविधाओं की अवस्थिति जैसे कि नर्सरियां, टीसी यूनिटें, बीज आधारभूत ढांचा, आईएनएम/आईपीएम आधारभूत ढांचा, पैक हाउस, प्री-कूलिंग यूनिट, रेफ्रीजरेटिड वैन, पकाने वाले चैम्बर, कोल्ड स्टोरेज यूनिट, बाजार, प्रसंस्करण इकाइयों आदि और बनाए जाने हेतु प्रस्तावित आधारभूत ढांचे की अवस्थिति दर्शाई गई है

2. वर्ष 2004-05 से आगे प्रमुख बागवानी फसलों हेतु जिला-वार क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता

3. चिन्हित क्लस्टर तथा फसलों के साथ भौतिक कार्यक्रम के जिला-वार ब्यौरे

4. चिन्हित संस्थानों/एजेंसी के साथ तकनीकी बैक स्टॉपिंग

अनुबंध- **-3**

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत ग्यारहवी योजना के दौरान लागत मानदंड तथा सहायता का पैटर्न

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का पैटर्न #
क.	अनुसंधान		आईसीएआर, सीएसआईआर तथा अन्य के अंतर्गत केन्द्र सरकार के संस्थान अपने विद्यमान बजट में से अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करेंगे जिसके लिए एक अनुसंधान परामर्शी समिति बल दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी ।
ख.	बागान आधारभूत ढांचा विकास		
1.	बागान सामग्री का उत्पादन		
	(1) आदर्श/बड़ी नर्सरी (2 से 4 हेक्टेयर)	6.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिात जोकि 25.00 लाख रुपए प्रति यूनिट तक सीमित होगी और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत जोकि अधिकतम 4 हेक्टेयर वाली किसी इकाई हेतु 12.50 लाख रुपए प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन होगी तथा यह एक परियोजना आधारित क्रियाकलाप के आधार पर होगा । प्रत्येक नर्सरी प्रत्येक वर्ष वनस्पति प्रसार के माध्यम से अधिदेशित बारहमासी फल के पौधे/वृक्ष प्रजाति/बागान फसल के प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर पर न्यूनतम 50 हजार पौधो का उत्पादन करेगी ।
	(2) छोटी नर्सरी (1हेक्टेयर)	6.25 लाख रुपए	सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत जोकि 3.125 लाख रुपए प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन होगी तथा यह एक परियोजना आधारित क्रियाकलाप के आधार पर होगा । प्रत्येक नर्सरी प्रत्येक वर्ष वनस्पति प्रसार के माध्यम से अधिदेशित बारहमासी फल के पौधे/वृक्ष प्रजाति/बागान फसल के प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर पर न्यूनतम 50 हजार पौधो का उत्पादन करेगी ।
	(3) विद्यमान टिशु कल्चर (टीसी) यूनिटों का पुनर्वास	15 लाख रुपए प्रति यूनिट, परियोजना आधारित क्रियाकलाप के रूप में	सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत ।
	(4) नई टीसी यूनिटों की स्थापना	100 लाख रुपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत । प्रत्येक टीसी यूनिट अधिदेशित फसल की न्यूनतम 15 लाख पौधो का उत्पादन करेगी जिनके लिए वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रोटोकॉल उपलब्ध हों ।
	(5) सब्जियों हेतु बीज उत्पादन तथा		सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का पैटर्न #
	वितरण	50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर	पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत जोकि प्रति लाभग्राही 5 हेक्टेयर तक सीमित होगा। आधार बीज के उत्पादन हेतु ब्रीडर बीज की मांग करने वाले संगठन आईसीएआर/एसएयू से ब्रीडर बीज की अधिप्राप्ति की लागत पर 25% की सहायता हेतु पात्र होंगे।
	(7) बीज आधारभूत ढांचा (बागवानी फसलों के बीजों की हैण्डिलिंग प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण आदि हेतु)	200 लाख रुपए प्रति परियोजना	सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत।
2	**नए बगीचों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार**		
1.	**फल**		
	(क) लागत प्रधान फसलें **(प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र हेतु)**		
	(1) बारहमासी फल - अंगूर, स्ट्रोबेरी, किवी, पैशन फल आदि	1,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 50,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50%, दूसरे वर्ष में 75% तथा तीसरे वर्ष में 90% की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में)। पृथक फसल की निर्देशनात्मक लागत **अनुबंध-4** में दी गई है।
	(2) गैर-बारहमासी फल - केला (सकर) तथा अनानास	70,000 रुपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 35,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50%, दूसरे वर्ष में 90% की जीवित रहने की दर के अधीन 75:25 की 2 किश्तों में)। पृथक फसल की निर्देशनात्मक लागत **अनुबंध-4** में दी गई है।
	(3) केला (टीसी) तथा अनानास	1,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 50,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50%, दूसरे वर्ष में 90% की जीवित रहने की दर के अधीन 75:25 की 2 किश्तों में)। पृथक फसल की निर्देशनात्मक लागत **अनुबंध-4** में दी गई है।
	(ख) उच्च घनत्व वाले पौधे (आम, अमरूद, लीची, बेर आदि)	80,000 रुपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 40,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50%, दूसरे वर्ष में 75% तथा तीसरे वर्ष में 90% की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में) पृथक फसल की निर्देशनात्मक लागत **अनुबंध-4** में दी गई है।

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का पैटर्न #
	(ग) सामान्य अंतर का उपयोग करते हुए लागत प्रधान फसलों के अतिरिक्त अन्य फल फसलें	40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 30,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 75%, बारहमासी फसलों हेतु दूसरे वर्ष में 75% तथा तीसरे वर्ष में 90% की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में और गैर-बारहमासी फसलों हेतु दूसरे वर्ष में 90% के जीवित रहने की दर के अधीन 2 किश्तों में 75:25)। पृथक फसल की लागत **अनुबंध-4** में दी गई है।
2	**मशरूम**		
	(क) स्पॉन, खाद उतपादन तथा प्रशिक्षण हेतु एकीकृत मारूम यूनिट	50 लाख रुपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र हेतु आधारभूत ढांचे पर व्यय के लिए क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत ।
	(ख) स्पॉन बनाने की यूनिट	15 लाख रुपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र हेतु क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत ।
	(ग) खाद बनाने की यूनिट	20 लाख रुपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत ।
3	**फूल (प्रति लाभग्राही अधिकतम 2 हेक्टेयर हेतु)**		
	(क) कटे फूल	70,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	छोटे तथा सीमान्त (एस एण्ड एम) किसानों को लागत का 50% और अन्य श्रेणी के किसानों को 33% जोकि एस एण्ड एम किसानों हेतु अधिकतम 35,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर और अन्य श्रेणी के किसानों हेतु 23,100/- रुपए प्रति हेक्टेयर होगा ।
	(ख) कंदीय फूल	90,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	छोटे तथा सीमान्त किसानों को लागत का 50% और अन्य श्रेणी के किसानों को 33% जोकि एस एण्ड एम किसानों हेतु अधिकतम 45,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर और अन्य श्रेणी के किसानों हेतु 29,700/- रुपए प्रति हेक्टेयर होगा ।
	(ग) खुले फूल	24,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	छोटे तथा सीमान्त किसानों को लागत का 50% और अन्य श्रेणी के किसानों को 33% जोकि एस एण्ड एम किसानों हेतु अधिकतम 12,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर और अन्य श्रेणी के किसानों हेतु 7,920/- रुपए प्रति हेक्टेयर होगा ।
4.	**मसालें (प्रति लाभग्राही अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु)**		
	(क) बीज मसाले तथा रीझोमेटिक प्रजातियां	25,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 12,500/- रुपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री और आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50%)

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का पैटर्न #
	(ख)बारहमासी मसाले (काली मिर्च, दालचीनी, लौंग तथा जायफल)	40,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 20,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री और आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50%)
5.	**सुगंधित पौधे (प्रति लाभग्राही अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु)**		
	(क) लागत प्रधान सुगंधित पौधे (पटचोली, जिरेनियम, रोजमेरी आदि)	75,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	लागत का 50%, 37,500/- रुपए प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा की अधीन, बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु ।
	(ख) अन्य सुगंधित पौधे	25,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	लागत का 50%, 12,500/- रुपए प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा की अधीन, बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु ।
6.	**बागान फसलें (प्रति लाभग्राही अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु)**		
	काजू तथा कोको, पुनः पौधे लगाए जाने सहित	40,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 20,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50%) दूसरे वर्ष में 75% तथा तीसरे वर्ष में 90% की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में जोकि प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्रफल हेतु है ।
3	**जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार/प्रतिस्थापन**	30,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर (औसत)	कुल लागत का 50 प्रतिशत जोकि प्रति लाभग्राही 2 हेक्टेयर तक हेतु अधिकतम 15,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर के अधीन है । दावा की जाने वाली वास्तविक लागत पुनरूद्धार की जाने वाली फसल की प्रकृति तथा आवश्यकता पर आधारित होती है ।
4	**जल स्रोतो का सृजन**		इस नरेगा के साथ क्रियान्वित किया जाएगा ।
	(क) प्लास्टिक/ आरसीसी लाइनिंग के साथ खेत के तालाबों/खेत के पानी भंडारों पर सामुदायिक टैंक	मैदानी क्षेत्रों में 15 लाख रुपए प्रति यूनिट, पहाड़ी क्षेत्रों में 17.25 लाख रुपए प्रति यूनिट	100 मीटर x 100 मीटर x 3 मीटर के तालाब आकार अथवा अन्य किसी छोटे आकार के साथ 10 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्रफल हेतु प्रो-राटा आधार पर लागत का 100% जोकि कमांड क्षेत्र, स्वामित्व तथा प्रबंधन समुदाय/किसान समूह द्वारा किए जाने पर निर्भर करेगा । काली कपास मिटटी वाले क्षेत्रों में गैर-लाइन वाले तालाबों/टंकियों में लागत 33% कम होगी । एनएचएम के अंतर्गत सहायता प्लास्टिक/ आरसीसी लाइनिंग की लागत तक सीमित है । तथापि, गैर-मनरेगा लाभग्राहियों हेतु एनएचएम के अंतर्गत लाइनिंग की लागत सहित तालाब/टैंक के निर्माण की समूची लागत पर सहायता प्राप्त की जा सकती है ।

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का पैटर्न #
	(ख) व्यक्तियों हेतु जल संचयन प्रणाली - 20 मीटरx20 मीटर x 3 मीटर तालाब/ खोदे गए कुंए हेतु 100/- रुपए घनमीटर की दर से ।	मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए प्रति यूनिट, पहाड़ी क्षेत्रों में 1.38 लाख रुपए प्रति यूनिट जो अधिकतम 2 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र हेतु है ।	लाइनिंग सहित लागत का 50% । छोटे आकार के तालाब/खोदे गए कुंए में लागत प्रो-राटा आधार पर देय होगी । यह भी नरेगा के साथ होगी । अनुरक्षण लाभग्राही द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।
5	**संरक्षित कृषि**		
	1. ग्रीन हाउस ढांचा		
	(क) पंखा तथा पैड प्रणाली	1465/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 1000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50%
	(ख) प्राकृतिक वातायन प्रणाली		
	(1) टयूब्यूलर ढांचा	935/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 1000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50%
	(2) लकड़ी का ढांचा	515/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 2 इकाइयों तक सीमित लागत का 50% (प्रत्येक यूनिट 500 वर्गमीटर से अधिक की न हों)
	(3) बांस का ढांचा	375/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 5 इकाइयों तक सीमित लागत का 50% (प्रत्येक यूनिट 200 वर्गमीटर से अधिक की न हों)
	2. प्लास्टिक मलचिंग	20,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	प्रति लाभग्राही 2 हेक्टेयर तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत
	3. छायादार जाली गृह		
	(1) टयूब्यूलर ढांचा	600/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 1000 वर्गमीटर तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत
	(2) लकड़ी का ढांचा	410/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 5 इकाइयों तक सीमित लागत का 50% (प्रत्येक यूनिट 200 वर्गमीटर से अधिक की न हों)
	(3) बांस का ढांचा	300/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 5 इकाइयों तक सीमित लागत का 50% (प्रत्येक यूनिट 200 वर्गमीटर से अधिक की न हों)
	4. प्लास्टिक टनल	30/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 1000 वर्गमीटर तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत
	5. पक्षी-रोधी/वृष्टि-रोधी जाली	20/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 5000 वर्गमीटर तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत
	6. पॉली हाउस में उगाई गई उच्च मूल्य सब्जियों की बागान सामग्री की लागत	105/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 500 वर्गमीटर तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत
	7. पॉली हाउस में उगाए गए फूलों की बागान सामग्री की लागत	500/- रुपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 500 वर्गमीटर तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का पैटर्न #
6.	**सटीकता कृषि विकास केन्द्रों (पीएफडीसी) के माध्यम से सटीकता कृषि विकास तथा विस्तार**	परियोजना आधारित	पीएफडीसी को लागत का 100%
7.	**एकीकृत पोषण प्रबंधन (आईएनएम)/एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) का संवर्धन**		
	(1) सेनेट्री तथा फाइटो सेनेट्री आधारभूत ढांचा (सार्वजनिक क्षेत्र)	500 लाख रुपए प्रति यूनिट	लागत का 100%
	(2) आईपीएम/आईएनएम का संवर्धन	2000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर की सीमा तक अधिकतम 1000/- रुपए प्रति हेक्टेयर के अधीन लागत का 50%
	(3) रोग पूर्वानुमान यूनिट (सार्वजनिक क्षेत्र)	4 लाख रुपए प्रति यूनिट	अधिकतम 4 लाख रुपए प्रति यूनिट
	(4) जैव-नियंत्रण प्रयोगशाला	80 लाख रुपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 80 लाख रुपए प्रति यूनिट और निजी क्षेत्र को पश्च सिरे वाली क्रेडिट संयोजित आर्थिक सहायता के रूप में 40.00 लाख रुपए ।
	(5) पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक	20 लाख रुपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 20 लाख रुपए प्रति यूनिट और निजी क्षेत्र को पच सिरे वाली क्रेडिट संयोजित आर्थिक सहायता के रूप में 10.00 लाख रुपए ।
	(6) पत्ती/टिशू विश्लेषण प्रयोगशाला	20 लाख रुपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 20 लाख रुपए प्रति यूनिट और निजी क्षेत्र को पश्च सिरे वाली क्रेडिट संयोजित आर्थिक सहायता के रूप में 10.00 लाख रुपए ।
8.	**आर्गेनिक कृषि**		
	(1) आर्गेनिक कृषि को अपनाना	20,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	लागत का 50% जो कि प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र हेतु 10000/- रुपए प्रति हेक्टेयर तक सीमित है, जो तीन वर्षों की अवधि तक फैला हुआ है जिसमें पहले वर्ष 4,000/- रुपए और दूसरे तथा तीसरे वर्ष प्रत्येक में 3,000/- रुपए की सहायता अंतर्ग्रस्त है। कार्यक्रम को प्रमाणीकरण के साथ संयोजित किया जाना है ।
	(2) आर्गेनिक प्रमाणीकरण	परियोजना आधारित	50 हेक्टेयर के एक क्लस्टर हेतु 5 लाख रुपए जिसमें पहले वर्ष में 1.50 लाख रुपए, दूसरे वर्ष में 1.50 लाख रुपए और तीसरे वर्ष में 2.00 लाख रुपए शामिल हैं।
	(3) वर्मी खाद यूनिट/आर्गेनिक आदान उत्पादन यूनिट	स्थायी ढांचे हेतु 60,000/- रुपए प्रति यूनिट और एचडीपीई वर्मीबेड हेतु 10,000/- रुपए प्रति यूनिट	स्थायी ढांचे के 30"x8"x2.5" आयाम की इकाई के आकार के अनुरूप लागत का 50% जिसे प्रो-राटा आधार पर प्रशासित किया जाना है। एचडीपीई वर्मीबेड हेतु 96 सीएफटी (12'x4'x2') के आकार की पुष्टि वाली लागत का 50% जिसे प्रो-राटा आधार पर प्रशासित किया जाना है।
9.	**अच्छे कृषि व्यवहारों (जीएपी) हेतु प्रमाणीकरण, आधारभूत ढांचे सहित**	10,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर	लागत का 50%
10.	**मधुमक्खी पालन के माध्यम से मकरंदीय समर्थन**		
	(क) न्यूक्लियस स्टाक का उत्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र)	10 लाख रुपए	लागत का 100%
	(ख) मधुमक्खी ब्रीडर द्वारा मधुमक्खी कालोनियों का उत्पादन	6 लाख रुपए	न्यूनतम 2000 कालोनी प्रति वर्ष उत्पादन हेतु लागत का 50%

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का पैटर्न #
	(ग) मधुमक्खी कालोनी	4 फ्रेम वाली प्रति कालोनी हेतु 1400/- रुपए	प्रति लाभग्राही 50 कालोनियों तक सीमित लागत का 50%
	(घ) छत्ते	प्रति छत्ता 1600/- रुपए	प्रति लाभग्राही 50 कालोनियों तक सीमित लागत का 50%
	(ङ) शहद निकालने वाले (4 फ्रेम), फूड ग्रेड कंटेनर (30 किलो), जाली आदि सहित उपकरण	प्रति सेट 14,000/- रुपए	प्रति लाभग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50%
11.	**बागवानी मीनीकरण**		
	(क) विद्युत चालित मशीन/उपकरण जिसमें विद्युत आरी तथा संयंत्र बचाव उपकरण आदि शामिल है	35,000/- रुपए प्रति सेट	प्रति लाभग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50%
	(ख) रोटावेटर / उपकरण के साथ विद्युत मशीनें (20 बीएचपी तक)	1.20 लाख रुपए प्रति सेट	प्रति लाभग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50%
	(ग) विद्युत मशीनें (20 एचपी तथा उससे अधिक) एक्सेसरीज/उपकरण सहित	3/-लाख रुपए प्रति सेट	प्रति लाभग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50%
	(घ) प्रदर्शन प्रयोजन हेतु बागवानी के लिए नई मशीनों तथा उपकरणों का आयात (सार्वजनिक क्षेत्र)	50/- लाख रुपए प्रति मशीन	कुल लागत का 100%
12.	**प्रदर्शन/फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी) के माध्यम से तकनोलाजी प्रसार**	25/ लाख रुपए	किसानों के खेतों में लागत का 75% और सार्वजनिक क्षेत्र एसएयू आदि के स्वामित्व वाले फार्मों में लागत का 100%
13.	**मानव संसाधन विकास (एचआरडी)**		
	(क) पर्यवेक्षकों तथा उद्यमियों हेतु एचआरडी	20/- लाख रुपए प्रति प्रशिक्षण	पहले वर्ष में लागत का 100% । बाद के वर्षो में आधारभूत ढांचे की लागत का दावा नहीं किया जाएगा ।
	(ख) मालियों हेतु एचआरडी	15/- लाख रुपए प्रति प्रशिक्षण	पहले वर्ष में लागत का 100% । बाद के वर्षो में आधारभूत ढांचे की लागत का दावा नहीं किया जाएगा ।
	(ग) किसानों का प्रशिक्षण		
	(1) जिले के भीतर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 400/- रुपए प्रतिदिन	लागत का 100%
	(2) राज्य के भीतर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 750/- रुपए प्रतिदिन	लागत का 100%
	(3) राज्य के बाहर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 1000/- रुपए प्रतिदिन	लागत का 100%
	(घ) किसानों का प्रभावन दौरा		
	(1) जिले के भीतर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 250/- रुपए प्रतिदिन	लागत का 100%

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का पैटर्न #
	(2) राज्य के भीतर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 300/- रुपए प्रतिदिन	लागत का 100%
	(3) राज्य के बाहर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 600/- रुपए प्रतिदिन	लागत का 100%
	(4) भारत से बाहर	प्रति प्रतिभागी 3 लाख रुपए	परियोजना आधारित। वायु/रेल यात्रा लागत का 100%
	(ङ) तकनीकी स्टाफ/ फील्ड कार्यकारियों का प्रशिक्षण/ अध्ययन दौरा		
	(1) राज्य के भीतर	प्रति प्रतिभागी 200/- रुपए प्रति दिन जमा देय होने के अनुसार यात्रा व्यय/दैनिक व्यय	लागत का 100%
	(2) प्रगामी राज्यों/ इकाइयों का अध्ययन दौरा (न्यूनतम 5 प्रतिभागियों का समूह)	प्रति प्रतिभागी 650/- रुपए प्रति दिन जमा देय होने के अनुसार यात्रा व्यय/दैनिक व्यय	लागत का 100%
	(3) भारत से बाहर	प्रति प्रतिभागी 5 लाख रुपए	वास्तविक आधार पर लागत का 100%
ग.	**एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन**		
	(1) पैक हाउस/ फार्म पर एकत्रीकरण तथा भण्डारण यूनिट	9मीटरx6 मीटर आकार वाली प्रति यूनिट हेतु 3 लाख रूपए	पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत
	(2) प्री-कूलिंग यूनिट	6 एमटी क्षमता हेतु 15 लाख रूपए	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता।
	(3) मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट	5 एमटी क्षमता हेतु प्रति यूनिट 24 लाख रूपए	- वही -
	(4) कोल्ड स्टोरेज यूनिट (निर्माण/ विस्तार/ आधुनिकीकरण)	5000 एमटी क्षमता हेतु प्रति एमटी 6000 रूपए	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता केवल उन्हीं यूनिटों के संबंध में जो नई तकनोलॉजियों को अपनाती हैं, जो कि इन्सूलेशन, आर्द्रता नियंत्रण तथा मल्टी चैम्बर के साथ फिन काइल कूलिंग प्रणाली के प्रावधान सहित ऊर्जा दक्ष हैं। विभाग द्वारा जारी तकनीकी मानक, पैरामीटर तथा प्रोटोकॉल अपनाए जाएं।
	(5) सीए/एमए भण्डारण यूनिट	5000 एमटी क्षमता हेतु प्रति एमटी 32,000 रूपए	- वही -
	(6) रेफर वैन/कंटेनर	6 एमटी क्षमता हेतु प्रति यूनिट 24 लाख रूपए	- वही -
	(7) प्राथमिक/मोबाइल/ न्यूनतम प्रसंस्करण यूनिट	24 लाख रूपए प्रति यूनिट	- वही -
	(8) पकाने वाला चैम्बर	5000 एमटी क्षमता हेतु प्रति एमटी 6000 रूपए	- वही -

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का पैटर्न #
	(9) ईवैपोरेटिव/कम ऊर्जा वाला शीत चैम्बर (8 एमटी)	4 लाख रूपए प्रति यूनिट	कुल लागत का 50 प्रतिशत
	(10) बचाव यूनिट (निम्न लागत)	नई यूनिट हेतु 2 लाख रूपए प्रति यूनिट और उन्नयन हेतु 1 लाख रूपए प्रति यूनिट	कुल लागत का 50 प्रतिशत
	(11) निम्न लागत प्याज भण्डारण ढांचा (25 एमटी)	1 लाख रूपए प्रति यूनिट	कुल लागत का 50 प्रतिशत
	(12) पूसा शून्य ऊर्जा ठण्डा ढांचा (100 किलोग्राम)	4000 रूपए प्रति यूनिट	कुल लागत का 50 प्रतिशत
घ.	**बागवानी उत्पाद हेतु विपणन आधारभूत ढांचे की स्थापना**		
	1. टर्मिनल बाजार	प्रति परियोजना 150 करोड़ रूपए	पृथक रूप से जारी प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बिडिंग के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में 25% से 40% (50.00 करोड़ रुपए तक सीमित) ।
	2. थोक बाजार	प्रति परियोजना 100 करोड़ रूपए	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 25 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 35.33 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता ।
	3. ग्रामीण बाजार/ अपनी मंडियां/ प्रत्यक्ष बाजार	20 लाख रूपए प्रति यूनिट	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता ।
	4. खुदरा बाजार/ आउटलेट (पर्यावरणीय नियंत्रित)	10 लाख रूपए प्रति यूनिट	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता ।
	5. स्थिर/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/शीत चैम्बर के साथ प्लेटफार्म	30,000 रूपए प्रति यूनिट	कुल लागत का 50 प्रतिशत
	6. एकत्रीकरण, छंटाई/ ग्रेडिंग, पैंकिंग यूनिटों आदि हेतु कार्यात्मक आधारभूत ढांचा	15 लाख रूपए प्रति यूनिट	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता ।
	7. गुणवत्ता नियंत्रण/ विलेषण प्रयोगाला	200 लाख रूपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र को कुल लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के द्वारा 50 प्रतिशत
	8. बाजार विस्तार, गुणवत्ता जागरूकता और नए उत्पादों हेतु बाजार नेतृत्व वाले विस्तार क्रियाकलाप	प्रति कार्यक्रम 3 लाख रूपए	राज्य सरकार/एसएचएम/सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों को 100 प्रतिशत सहायता ।

क्रम सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का पैटर्न #
ङ	विशेष हस्तक्षेप		
	एसएचएम की आकस्मिक/अप्रत्याति आवयकताओं से निपटना	10 लाख रूपए प्रति परियोजना	परियोजना प्रस्ताव पर आधारित लागत का 50% ।
च.	**मिशन प्रबंधन**		
	1. राज्य स्तर		
	1. राज्य तथा जिला मिशन कार्यालय और क्रियान्वयन एजेंसियां प्रशासनिक व्ययों, फील्ड परामर्शों, परियोजना, तैयारी, कम्प्यूटरीकरण, आकस्मिकता आदि हेतु	राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम)/ क्रियान्वयन एजेंसियों को अवगत आवश्यकता के आधार पर कुल वार्षिक व्यय का 5%	100% सहायता
	2. संस्थागत सुदृढ़ीकरण - वाहनों को किराए पर लिया जाना, हार्डवेयर/ साफ्टवेयर आदि की खरीद	परियोजना आधारित	100% सहायता
	3. संगोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, किसान मेला, बागवानी शो, शहद महोत्सव आदि		
	क) राज्य स्तर	3 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम	100% सहायता जोकि दो दिवस के कार्यक्रम हेतु अधिकतम 3.00 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम के अधीन होगी
	ख) जिला स्तर	2 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम	100% सहायता जोकि दो दिवस के कार्यक्रम हेतु अधिकतम 2.00 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम के अधीन होगी
	4. राज्य स्तर पर तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) विशेषज्ञों/स्टाफ को लेने, अध्ययन, प्रबोधन तथा मूल्यांकन, मास मीडिया, प्रचार, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग आदि	परियोजना आधारित, 50 लाख रूपए प्रति वर्ष प्रति राज्य की सीमा के अधीन	लागत का 100 प्रतिशत
	2. राष्ट्रीय स्तर		
	1. राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को लेने, अध्ययन, संगोष्ठियां/सम्मेलन/ कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, आकस्मिकताएं, प्रबोधन तथा मूल्यांकन, मास मीडिया, प्रचार, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग आदि	5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष	लागत का 100 प्रतिशत
	2. एफएओ, विश्व बैंक, एडीबी, जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तकनीकी सहयोग, द्विपक्षीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय प्रभावन दौरे/ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आदि	परियोजना आधारित । वास्तविक लागत आधार पर ।	लागत का 100 प्रतिशत

टिप्पणी - पच सिरे वाली आर्थिक सहायता के निर्मुक्त किए जाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों, पंचायतों, सहकारिताओं, पंजीकृत सोसाइटियों/ट्रस्ट तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के क्रेडिट का संयोजित होना आवयक नहीं है, बशर्ते वे अपने स्वयं के संसाधनों से परियोजना लागत के शेष अंश को पूरा कर सकें ।

अनुबंध- 4

चुनिंदा फल फसलों के प्रति हैक्टेयर के क्षेत्र विस्तार की निर्देशनात्मक लागत

(रूपए में)

फसल	पौधे में अंतर (मीटर)	प्रति हैक्टेयर पौधों की संख्या	बागान सामग्री की लागत	आदानों की लागत	कुल
सेब	06x06	278	5560	30,000	35,560
आंवला	06x06	278	8340	15,000	23,340
आंवला	03x03	1110	33300	25,000	58,300
केला (सकर)	02x02	2500	20000	25,000	45,000
केला (टीसी)	1.8x1.8	3086	43204	40,000	83,204
बेर	06x06	278	6950	12,000	18,950
नींबू प्रजाति					
क) मंदारिन	06x06	278	8340	27,000	35,340
ख) मीठा संतरा	06x06	278	8340	25,000	33,340
अंगूर	04x04	625	6250	85,000	91,250
अंगूर	03x03	1110	11100	90,000	101,100
अमरूद	06x06	278	6950	15,000	21,950
लीची	10x10	100	3500	20,000	23,500
लीची	7.5x7.5	178	6230	23,000	29,230
आम	10x10	100	4000	18,000	22,000
आम	2.5x2.5	1600	64000	40,000	104,000
अनानास(सक)	0.6x0.3	45000	45000	20,000	65,000
अनानास(टीसी)	0.6x0.3	45000	135000	30,000	165,000
अनार	05x05	400	12000	30,000	42,000
अनार	05x03	667	20010	35,000	55,010
सपोता	05x05	400	12000	25,000	37,000
स्ट्राबेरी	0.5x1	20000	60000	90,000	150,000